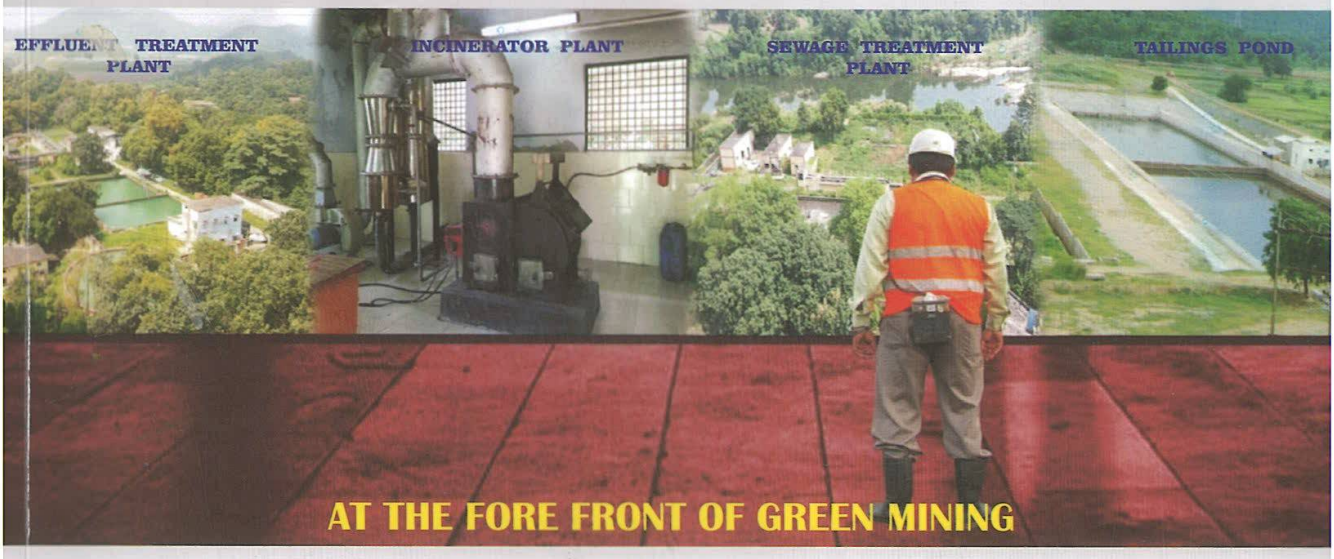

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

Uranium Corporation of India Limited

(A Government of India Enterprise)

47वां वार्षिक प्रतिवेदन

47th Annual Report

2013-14

ISO 9001:2008, 14001:2004 एवं IS 18001:2007 कम्पनी

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & IS 18001:2007 Company

Awards & Recognitions

14th Annual
GREENTECH Environment Award 2013

GREENTECH FOUNDATION
NEW DELHI (INDIA)
www.greentech.org

Certificate

This is to certify that
URANIUM CORPORATION OF INDIA LTD.
TURAMDIH MINING PROJECT
has been declared Winner of
SILVER CATEGORY
in METAL & MINING SECTOR
for outstanding achievement
in Environment Management

KAMALESHWAR SHARAN
President

30 January 2014
Chandigarh (India)

2nd Annual
GREENTECH CSR Award 2012

GREENTECH FOUNDATION®
NEW DELHI (INDIA) • www.greentech.org

CERTIFICATE OF APPRECIATION

Presented to
Uranium Corporation of India Ltd.
Narwpahar
(Metal & Mining Sector)
in appreciation of their efforts in
Corporate Social Responsibility

30th October 2012
Hyderabad (India)

KAMALESHWAR SHARAN
President

HUDDLE OF HEAVYWEIGHTS

The first India Today Group PSU Aw
honour enterprises that have scrip
success against many odds

By Kaushik Deka

पुरस्कार एवं मान्यता
Awards & Recognitions

CERTIFICATE TÜV NORD

Management system as per
ISO 14001 : 2004

In accordance with TÜV NORD CERT procedures, it is hereby certified that

URANIUM CORPORATION OF INDIA LIMITED
NARWAPAHAR COLONY ESTATE
HEAD OFFICE : P.O. Jaduguda Mines,
Dist. East Singhbhumi, Jharkhand – 832 102,
India

applies a management system in line with the above standard for the following scope

Management, Operation and Maintenance of Colony Area – UCIL Narwapahar Mine

Certificate Registration No. 44 104 135161
Audit Report No. 2.5-6216/2013

Valid until 15.10.2016

Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Issue 16.10.2013
Place : Mumbai

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstrasse 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.com

TGA-ZM-07-06-00

GOLDEN PEACOCK AWARDS

This is to certify that

Uranium Corporation of India Ltd
Singhbhum (E)

was adjudged the

WINNER

of

GOLDEN PEACOCK AWARD
FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
2013

17th January, 2014
Bengaluru

Justice P. N. Bhagwati
Chairman, Golden Peacock Awards
& former Chief Justice of India

CERTIFICATE TÜV NORD

Management system as per
ISO 14001 : 2004

In accordance with TÜV NORD CERT procedures, it is hereby certified that

URANIUM CORPORATION OF INDIA LIMITED
JADUGUDA MINE & MILL
P.O.Jaduguda Mines, East Singhbhum,
Jharkhand – 832 102,
India
and other Mines & Mills as per Annexure

applies a management system in line with the above standard for the following scope

Mining of Uranium Ore, Production and Supply of Magnesium Di-Uranate and Magnetite including Offsite Operation of Effluent Treatment Plant & Tailing Pond at Jaduguda and Turamdih

Certificate Registration No. 04 104 030779-E3
Audit Report No. 2.5-2730/2000

Valid until 09.06.2015
Initial Certification 12.06.2003

Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Issue 05.07.2012
Place : Mumbai

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstrasse 20 45141 Essen

TGA-ZM-07-06-00

CERTIFICATE TÜV NORD

Management system as per
ISO 9001 : 2008

In accordance with TÜV NORD CERT procedures, it is hereby certified that

URANIUM CORPORATION OF INDIA LTD.
JADUGUDA MINE & MILL
P. O. Jaduguda Mines, East Singhbhum.
Jharkhand - 832 102,
India
and other Locations as per Annexure

applies a management system in line with the above standard for the following scope

Mining of Uranium Ore, Production and Supply of Magnesium Di-Uranate and Magnetite

Certificate Registration No. 04 100 010779-E3
Audit Report No. 2.5-2730/2000

Valid until 29.01.2016
Initial certification 27.04.2001

Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Issue 08.02.2013
Place : Mumbai

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstrasse 20 45141 Essen

अनुक्रमणिका

		पृष्ठ संख्या
1.	निदेशक मण्डल	3
2.	कार्यकारी अधिकारीगण	4
3.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की कलम से	5
4.	निदेशकों का प्रतिवेदन	8
5.	निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-I (ऊर्जा संरक्षण इत्यादि)	19
6.	निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-II (निगमित अभिशासन)	22
7.	लेखा विश्लेषण	
	(i) प्रमुख विशिष्टताएँ	24
	(ii) कम्पनी की वित्तीय स्थिति	25
	(iii) कम्पनी की आय एवं व्यय का विवरण	26
8.	पाई एवं बार चार्ट	
	(i) आय का वर्गीकरण	27
	(ii) व्यय का वितरण	27
	(iii) आय में वृद्धि	28
	(iv) निवल मालियत (नेटवर्थ) में वृद्धि	28
	(v) नियोजित पूँजी	29
	(vi) सकल तथा शुद्ध परिसम्पत्ति	29
9.	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	30
10.	निगम के लेखों पर नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	35
11.	31 मार्च, 2014 की स्थिति का तुलन-पत्र	36
12.	वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए लाभ एवं हानि का लेखा	37
13.	लेखे की 1 से 26 तक की टिप्पणियाँ	38
14.	नकद प्रवाह विवरण	69
15.	पच्चीस वर्षीय स्थिति का सार संग्रह	70

निदेशक मण्डल

श्री डी. आचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री एस. के. श्रीवास्तव
निदेशक (तकनीकी)

श्री बी. एल. साबू
निदेशक (वित्त) (12.05.2014 तक)

श्री आर. एस. शर्मा
(30.04.2014 तक)

श्रीमती चित्रा रामचंद्रन

श्री वी. आर. सदाशिवम
(31.12.2013 तक)

श्री एन. साईबाबा

श्री पी. एस. परिहार

प्रो. तारकेश्वर कुमार
(20.03.2014 तक)

डॉ. अमलेन्दु सिन्हा
(20.03.2014 तक)

श्री बी. सी. गुप्ता
कम्पनी सचिव

लेखा परीक्षक

मेसर्स तोडी तुलस्यान एण्ड क.
सनदी लेखाकार
602, लवकुश टावर
एक्जीबीशन रोड
पटना-800 001

कार्यकारी अधिकारीगण

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	:	**श्री डी. आचार्य**
निदेशक (तकनीकी)	:	**श्री एस. के. श्रीवास्तव**
कार्यकारी निदेशक (परियोजना-दक्षिण)	:	**श्री एन. एम. बहल**
महा प्रबन्धक (खान)	:	**श्री एस. सी. भौमिक**
महा प्रबन्धक (सुरक्षा,पर्यावरण एवं प्रशिक्षण)	:	**श्री जी. एस. घोष हाजरा**
महा प्रबन्धक (तकनीकी सेवा एवं योजना)	:	**श्री अजय घड़े**
महा प्रबन्धक (ओपेन पीट)	:	**श्री पी. एन. सरकार**
महा प्रबन्धक (विद्युत)	:	**श्री पी. के. धर**
महा प्रबंधक (कॉरपोरेट योजना)	:	**डॉ. ए. के. सारंगी**
महाप्रबंधक (यांत्रिकी)	:	**श्री एस. के. गुहानियोगी**
महाप्रबंधक (लेखा)	:	**श्री जी. के. चटर्जी**
कम्पनी सचिव	:	**श्री बी. सी. गुप्ता**

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
CIN : U 12000 JH 1967 GOI 000806
पंजीकृत कार्यालय : जादुगोड़ा माइन्स, जिला : सिंहभूम (पूर्व)
झारखण्ड - 832102
दूरभाष : 0657-2730122 / 222 / 353
फैक्स : 0657-2730322
ई-मेल : cs@ucil.gov.in
वेबसाइट www.ucil.gov.in

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की कलम से

प्रिय सदस्यगण,

कम्पनी की 47वीं वार्षिक सामान्य बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। निदेशकों के प्रतिवेदन के साथ वर्ष 2013-14 के लिए कम्पनी का अंकेक्षित लेखा विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ लिया गया मानता हूँ।

देवियों और सज्जनों, आपकी कम्पनी देश के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम में विशिष्ट स्थान ग्रहण कर चुकी है। वर्षानुवर्ष यूरेनियम उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में पिछले कई वर्षों में इसके प्रयास ने कई बाधाओं को पार कर रिकार्ड ऊँचाइयों को प्राप्त किया है।

हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दो महीने से अधिक समय से बांदुहुरांग खान में वृहद बाधाओं के बावजूद आप की कम्पनी की सभी इकाईयों के कार्य वर्ष 2013-14 में सन्तोषजनक रहे। विरोध का प्रभाव, उपकरणों की क्षति के साथ काफी व्यापक था। क्षति का कुछ भाग दूसरे स्थानों, जैसे: नरवापहाड़, तुरामडीह एवं बागजाता माइन्स के उत्पादन को बढ़ा कर किया गया, जो कि अल्पावधि के लिए था। तथापि झारखण्ड में द्वितीय माईनिंग लीज नवीनीकरण लंबित होने की वाह से जादुगोड़ा का उत्पादन एवं परिवहन रोक

दिया गया है जो कि अयस्क के उत्पादन में बहुत बड़ी बाधा है।

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि तुम्मलापल्ली प्रवर्तन में लाने का कार्य प्रगति पर है जो कि 2015 में निर्धारित है। खान 2350 टन प्रति दिन उत्पादन प्राप्त कर चुका है। हैंग वाल लोड का उत्खनन, जो कि बैड रूफ कन्डीशन को ध्यान में रखते हुए एक चुनौती है जिसे नेशनल इंस्टीच्युट ऑफ रॉक मैकेनिक, कोलार की सहायता से नई तकनीक के द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। पायलट प्लांट अध्ययन के बाद प्लांट में रिकवरी तथा अवक्षेपण में सुधार की दिशा में कुछ नए उपकरणों को व्यवहार में लाया गया है। प्लांट के कार्य-निष्पादन में निरंतर सुधार हो रहा है ।

जादुगोड़ा में चौथे चरण का टेलिंग पाँड, तुरामडीह में मैग्नेटाइट रिकवरी प्लांट, तुरामडीह में यूरेनियम पैरॉक्साइड सुविधा और तुरामडीह में द्वितीय चरण का टेलिंग पाँड का कार्य प्रगति पर है। आप की कंपनी ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के राखा एवं सुरदा माइन्स में दो यूरेनियम रिकवरी प्लांट लगाने का विचार किया है।

राजस्थान में रोहिल जमा यूरेनियम के लिए एक्सप्लोरेटरी माइनिंग, पायलट प्लांट का अध्ययन विचाराधीन है। यह उम्मीद की जाती है कि पानी का स्रोत का पता नियमित खनन एवं संचालन के पहले लगा लिया जाएगा।

आपकी कम्पनी ने मौजूदा सुविधाओं से सुचारू एवं निरंतर उत्पादन बनाये रखने के लिए " सिंहभूम तथा तुम्मलापल्ली में संचालन के डिबोट्लनेकिंग " के अन्तर्गत सिंहभूम में भाटिन माइन्स तथा सिंहभूम एवं तुम्मलापल्ली में सात और परियोजनाओं के आधुनिकीकरण का कार्य लिया है।

वर्ष 2013-14 के दौरान आपकी कंपनी का औद्योगिक सम्बन्ध शांति एवं मधुरता के साथ मजदूर यूनियन और अधिकारी एसोसियेशन के बीच संतोषप्रद रहा है।

आपकी कंपनी गुणवत्ता आश्वासन के लिए आई एस ओ 9001:2008, पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली के लिए आई एस ओ 14001:2004 प्रमाणन तथा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एण्ड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आई एस-18001:2007 प्रमाणन को लगातार बनाये रखी है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी के नरवापहाड़ टाउनशिप को आई एस ओ 14001:2004 का प्रमाण पत्र टी यू व्ही/नॉर्ड के द्वारा प्राप्त हुआ है, जो देश क किसी खनन उद्योग के टाउनशिप के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।

आपकी कंपनी उच्चतम स्तर के कॉरपोरेट गवर्नेंस को कायम रखने के लिए बचनबद्ध है। कंपनी के परिचालन में व्हिसिल ब्लोअर, जालसाजी निरोध के साथ साथ सामाजिक दायित्व की नीतियाँ हैं। यूसिल ने वरिष्ठ प्रबंधकीय कर्मचारियों के लिए आचार संहिता तथा आपूर्तिकर्त्ताओं के लिए इंटिग्रिटी पैक्ट बनाया है। कंपनी ने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है और यह उम्मीद की जाती है कि वर्ष 2013-14 के लिए भी बहुत अच्छा रेटिंग होगा।

आपकी कम्पनी नियमित रूप से ऑल इंडिया माइन्स रेस्क्यू कंपीटिशन में भाग लेती है। मुझे यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी ने मेटलीफेरस संवर्ग में ऑल इंडिया माइन्स रेस्क्यू कंपीटिशन द्वारा 2013 में आयोजित प्रतियोगिता में ओर ऑल चैंपियन के साथ अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में सफलता हासिल की है।

आपकी कंपनी ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसियेशन, यूनाइटेड नेशन्स इकोनॉमिक कमीशन यूरोप आदि के साथ काफी अच्छे गठबंधन कायम रखा है। शिक्षण एवं शोध संस्थान जैसे, आई आई टी खड़गपुर, आई एस एम धनबाद, एक्स एल आर आई जमशेदपुर, सी आई एम एफ आर धनबाद, एन एम एल जमशेदपुर इत्यादि तकनीकी उत्कर्ष के लिए महत्वपूर्ण सहायता उपलब्ध करा रहे हैं ।

2013-14 का तुलन पत्र, जो कि वस्तुगत निष्पादन के मामले में संतोष का विषय रहा। वित्तीय निष्पादन के लिए तीन वर्षों की अवधि से लंबित उत्पाद की मूल्यवृद्धि की तरफ ध्यान देने की जरुरत है। 2011-12 से लंबित उत्पाद मूल्य के निर्णय की वजह से घरेलू स्रोत की कठिनाई के कारण बढ़ते उत्पादन लागत आपकी कंपनी के विकास के लिए गंभीर चुनौती है ।

मुझे इस बात को दर्ज कराने का गर्व है कि कंपनी तकनीकी एवं अन्य क्षेत्रों में कई मान्यताएं हासिल की है। इससे कंपनी की छवि में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि हुई है।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी ने आस पास के समुदायों में निर्धारित सी एस आर क्रियाकलापों के साथ एकजुटता को बनाया है। 2014 के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर स्थानीय मिडिया हाउस प्रभात खबर ने यूसिल को झारखंड में उसके उत्कृष्ठ योगदान के लिए सम्मानित किया है ।

मैं अपनी कंपनी के सभी कर्मचारियों को उनके प्रसास एवं प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा करना चाहूँगा। मैं परमाणु ऊर्जा विभाग एवं उसके विभिन्न इकाईयों, विशेष कर बार्क, ए एम डी, एन एफ सी तथा एन पी सी आई एल को उनके मदद, दिशा-निर्देशन एवं सहयोग के लिए आभारी हूँ। तकनीकी मदद के लिए विभिन्न शैक्षणिक तथा शोध संस्थाओं विशेषकर आई आई टी खड़गपुर, आई एस एम धनबाद, सी आई एम एफ आर धनबाद तथा एन आई आर एम कोलार का आभारी हूँ। कंपनी बोर्ड के साथी विशेषकर, सेवानिवृत्त सदस्यों को सेवा के दौरान एवं उसके पश्चात बहुमूल्य सुझाव एवं प्रयास के लिए धन्यवाद देता हूँ।

अब मैं कंपनी के 31 मार्च, 2014 का तुलन पत्र एवं 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि लेखा आपके विचारार्थ, अनुमोदनार्थ एवं अंगीकरण के लिए प्रस्तुत करता हूँ ।

धन्यवाद,

डी.आचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

कोलकाता
18 सितम्बर, 2014

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण

देवियों एवं सज्जनों,

आपके निदेशकगण को कम्पनी का 31 मार्च, 2014 में समाप्त हुए वर्ष का 47वां वार्षिक विवरण परीक्षित लेखाओं तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है ।

1.0 परिचालन विशिष्टताएँ

1.1 वित्तीय निष्पादन

लाख रुपयों में

	चालू वर्ष 2013-2014	विगत वर्ष 2012-2013
आय	**81,429.78**	85,512.28
मूल्य ह्रास एवं पूर्व अवधि का समायोजन के पूर्व लाभ	**9,538.81**	22,195.15
घटाया : (क) मूल्यह्रास	**7,793.44**	7,795.47
जोड़ा : (ख) पूर्व अवधि का समायोजन	**(-112.60)**	17.30
कर पूर्व का लाभ	**1,632.77**	14,416.98
घटाया : (क) कर का प्रावधान	**1,041.98**	4,930.05
(ख) पूर्व के वर्षों के लिए	**123.97**	65.68
(ग) आस्थगित कर का प्रावधान	**(602.63)**	342.51
कर पश्चात् लाभ	**1,069.45**	9,078.74
जोड़ा: विगत वर्ष से लाया गया	**24,803.18**	19,662.90
विनियोग के लिए उपलब्ध राशि	**25,872.63**	28,741.64
विनियोग		
साधारण रिजर्व	**214.00**	1,815.00
प्रस्तावित लाभांश	**214.00**	1,815.00
लाभांश पर कर	**36.37**	308.46
अधिशेष तुलनपत्र में लाया	**25,408.26**	24,803.18
	25,872.63	28,741.64

आपकी कम्पनी ने वर्ष के दौरान राजकोष में आयकर, बिक्रीकर, अन्य लाभकर, सुविधाकर, उत्पादशुल्क, सीमाशुल्क (आयात) स्वामित्व शुल्क के रूप में 7,018.23 लाख रुपये (गत वर्ष 4,534.46 लाख रुपये) का योगदान दिया।

1.2 परिचालन निष्पादन:

वर्ष 2013-14 के दौरान आपकी कम्पनी के सभी प्रचालन इकाईयों का निष्पादन बहुत संतोषजनक रहा तथा खनन उत्पादन एवं संसाधन पहले की अपेक्षा काफी उच्चतम दर्ज किया गया तथा संसाधित अयस्क को न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स को भेजा गया।

■ जादुगोड़ा खान

जादुगोड़ा यूरेनियम खान 1968 से प्रचालनरत है और आज देश की सबसे पुरानी एवं गहरी भूमिगत खान है।

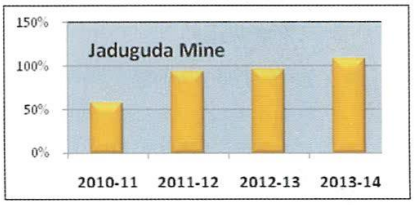

वर्ष के दौरान खान की उपयोग क्षमता 107.71% दर्ज की गई है। खनन पट्टा के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्रथम एवं द्वितीय पट्टा नवीनीकरण का आवेदन प्रगतिधीन है।

■ भाटिन खान

आने वाले वर्षों में उच्च उत्पादन के लिए खान का नक्शा तथा अयस्क ऊपर उठाने की व्यवस्था का उन्नयन किया जा रहा है। विवरण तैयार किया जा रहा है। जादूगोड़ा खान सहित पट्टा नवीनीकरण का आवेदन प्रक्रिया में है।

■ नरवापहाड़ खान

1000 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाला नरवा पहाड़ यूरेनियम माइन्स देश की अत्याधुनिक यूरेनियम खान

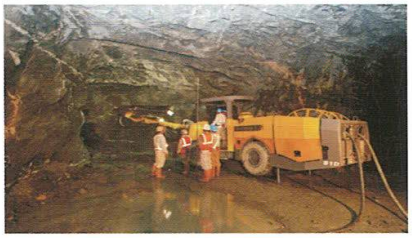

है। उच्च उत्पादकता एवं उन्नत सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए पटरीविहीन उपकरणें इस खान में प्रचालन में है। वर्ष के दौरान इनकी उपयोग क्षमता 150.29 दर्ज की गई। स्थायी आधार पर उत्पादन क्षमता 1500 टन प्रतिदिन तक बढ़ाने हेतु खान के विस्तारण की योजना बनाई गई है।

■ तुरामडीह खान

वर्ष के दौरान तुरामडीह खान की उपयोग क्षमता 129.90% दर्ज की गई। यह नरवापहाड़ के बाद दूसरी इस प्रकार की खान है जिसमें अत्यधिक आधुनिक भूमिगत पटरीविहीन खनन तकनीक का इस्तेमाल

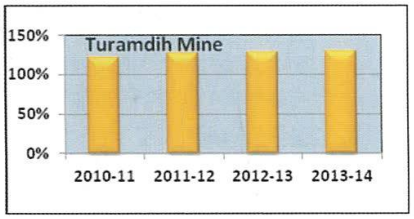

किया गया है जिसका विस्तारीकरण किया जा रहा है जो वर्तमान में 750 टन प्रति दिन से बढ़ाकर 1000 टन प्रतिदिन किया जा रहा है। इस खान में एक छोटे खंड में ट्रायल के लिए एक नई नन-इन्ट्री टाइप स्टोपिंग मेथड की योजना बनाई गई है। उम्मीद की जाती है कि यह अधिक उत्पादक और सुरक्षित होगी।

■ बान्दुहुरांग ओपेनकास्ट खान

यह 3500 टन अयस्क प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाली देश की प्रथम ओपेन कास्ट यूरेनियम माइन्स है। वर्ष के दौरान ठेकेदारी में नियोजन की मांग पर खान ने कानून व्यवस्था की अनेक परेशानियों का सामना किया। दीर्घकालीन विरोध के पश्चात खान में इसके प्रदर्शन में धीरे-धीरे सुधार हुआ है। खान के आसपास सामाजिक, राजनीतिक माहौल लगातार अस्थिर बना रहा है तथा खान संचालन में लगातार व्यवधान की संभावना बनी रही है। वर्ष के दौरान खान की उपयोग क्षमता 53.36% दर्ज की गई है।

■ **बागजाता खान**

वर्ष के दौरान खान में 106.42% उपयोग क्षमता दर्ज की गई है। बागजाता खान से उत्पादित अयस्क ट्रक के द्वारा जादूगोड़ा संसाधन संयंत्र में लाया गया। बागजाता खान में उच्चतम उत्पादन से क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट के लगातार व्यवधान की वजह से जादूगोड़ा संयंत्र में सुरक्षित भंडार के रूप में स्टॉक-पिल के निर्माण में सहायता मिली। तथापि क्षेत्र में सामान्य कानून व्यवस्था की समस्या से खान से संयंत्र तक अयस्क का सुगम संचलान प्रभावित हुआ है।

■ **माहुलडीह खान**

यह मार्च 2013 में स्थापित झारखंड में आपकी कंपनी की सातवीं खान है। इसमें भी आधुनिक पटरीविहीन खनन प्रणाली उपयोग की जा रही है। खान से उत्पादित अयस्क तुरामडीह संयंत्र में लाया जाता है।

■ **जादुगोड़ा संयंत्र**

यह संयंत्र वर्ष 1968 में चालू हुआ एवं इसका विस्तारण तीन चरणों में किया गया। 2500 टन प्रतिदिन की वर्तमान संसाधन क्षमता के साथ वर्ष के दौरान संयंत्र की उपयोग क्षमता 92.20% रही। संयंत्र अब मैग्नेशियम-डाई-यूरेनेट के जगह पर यूरेनियम पेरॉक्साइड का उत्पादन करती है। यूरेनियम पेरॉक्साइड पर्यावरण हितैषी एवं मूल्यजनित उत्पाद है जिससे एन.एफ.सी. में संसाधन प्रक्रिया में लाभ मिलता है।

■ **तुरामडीह मिल**

तुरामडीह मिल अपनी क्षमता का 3000 टीपीडी अयस्क संसाधन के साथ निष्पादन कर रहा है तथा यह आपकी कंपनी के आउटपुट में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसमें तुरामडीह, बांदुहुरांग एवं महुलडीह खान

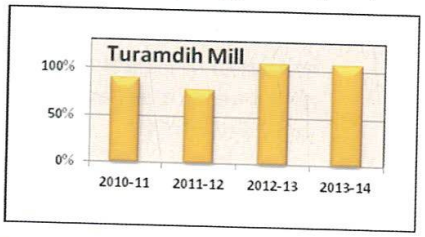

के अयस्क फीड किए जाते हैं। वर्ष के दौरान संयंत्र ने 106.57% उपयोग क्षमता हासिल की है। नरवापहाड़ खान का अतिरिक्त उत्पादन तुरामडीह मिल में सुरक्षित भंडार के निर्माण के साथ-साथ मिल फीड ग्रेड को उन्नत करने में इस्तेमाल होता है।

■ **उपोत्पाद पृथक्करण संयंत्र**

जादुगोड़ा उपोत्पाद पृथक्करण संयंत्र से उत्पादित मैग्नेटाइट, कम्पनी की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में रिकार्ड योगदान किया है। जादूगोड़ा संयंत्र के उत्पाद मैग्नेटाइट की उच्च शुद्धता ने बाजार से अच्छे उत्पाद दर को प्राप्त किया है।

1.3 नई परियोजनाएं

■ **तुमलापल्ली यूरेनियम परियोजना**

भूमिगत खान एवं संसाधन संयंत्र वाली परियोजना के द्वारा नवीन प्रौद्योगिकियों को देश में पहली बार अपनाया गया है। खान ने पहले ही 2350 टन अयस्क प्रतिदिन उत्पादन प्राप्त कर लिया है। पर्याप्त स्टॉक पिल भी तैयार हो गयें हैं। हैंग वाल लोड का उत्खनन, जो कि बैड रूफ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एक चुनौती है जिसे नेशनल इंस्टीच्युट ऑफ रॉक मैकेनिक, कोलार की सहायता से नई तकनीक के द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। पायलट प्लांट अध्ययन के बाद प्लांट में रिकवरी तथा प्रेसीपीटेशन में सुधार की दिशा में कुछ नए उपकरणों को व्यवहार में लाया गया है। प्लांट के कार्य-निष्पादन में निरंतर सुधार हो रहा है।

■ **गोगी यूरेनियम परियोजना, कर्नाटक**

आपकी कम्पनी ने ए.एम.डी. के तरफ से गोगी में एक्सप्लोरेटरी माइनिंग किया। यह एक्सप्लोरेटरी माइनिंग अयस्क के विभिन्न भू-गर्भीय स्थिति एवं रासायनिक पर्यावरण तथा अयस्क ज्यामिति के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है एवं यह वर्तमान माइन्स से अलग है। तथापि खान निर्मुक्त जल में यूरेनियम की अधिक मात्रा होने की वजह से आसपास के गांवों तथा वहां निवास करने वाले लोगों में भय एवं विरोध है। सभी एक्सप्लोरेटरी माइनिंग कार्य को इस विरोध के कारण स्थलों पर रोक दिया गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए नया आवेदन किया जा रहा है। यूसिल परमाणु ऊर्जा

विभाग के तरफ से एक चरणबद्ध पब्लिक आउटरिच प्रोग्राम बनायी गई है, जिससे आसपास के लोगों में इस संचालन का विश्वास एवं उच्च पारदर्शिता को बताया जा सके। यूसिल अपनी आउटरिच प्रोग्राम के लिए बी.ए.आर.सी. के विशेषज्ञों एवं ख्याति-प्राप्त एन.जी.ओ. के साथ एक प्रोग्राम बनायी है।

- **लाम्बापुर यूरेनियम परियोजना**

  लाम्बापुर यूरेनियम परियोजना के लिए आन्ध्रप्रदेश सरकार से खनन पट्टे का अनुमोदन एवं स्थापना हेतु आंध्रप्रदेश पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति अभी तक प्रतीक्षित है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है।

- **केलेंग-पेंडेंगसोहियोंग परियोजना, मेघालय**

  आपकी कम्पनी माउथाबा मेघालय में केलेंग पेंडेंगसोहियोंग परियोजना के लिए भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आपकी कम्पनी स्थानीय लोगों से सकारात्मक उत्तर प्राप्त करने के लिए आउटरिच कार्य जैसे- सड़क एवं पुलियों, स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण, सहायता के लिए शैक्षणिक केन्द्र एवं अन्य सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक कर रही है ताकि स्थानीय लोग स्वास्थ्य हानि के भय से मुक्त रहें। आपकी कम्पनी द्वारा ढांचागत विकास कार्य किया जा रहा है जिससे कि स्थानीय जनसंख्या को भी सकारात्मक पर्यावरण सृजन में साथ लाया जा सके।

- **रोहिल यूरेनियम भण्डार, राजस्थान**

  आपकी कम्पनी ने इस क्षेत्र में अन्वेषण खनन कार्य करने के लिए ए.एम.डी. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अन्वेषण खनन कार्य की योजना आवश्यक अनुमोदन हेतु ए.एम.डी. के पास जमा कर दिया गया है। यूसिल एवं ए.एम.डी टीम ने क्रिया-कलाप की पहल करने हेतु स्थल का दौरा किया है।

- **तुरामडीह में मैग्नेटाइट प्रति-प्राप्ति संयंत्र**

  आपकी कंपनी तुरामडीह में नया मैग्नेटाइट (उपोत्पाद की तरह) प्रति-प्राप्ति संयंत्र लगा रही है, जिससे कि टेलिंग्स से महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त हो सके तथा वित्तीय स्थिति उन्नत हो सके।

- **तुरामडीह में यूरेनियम पेरॉक्साइड फैसिलिटी**

  आपकी कंपनी ने वर्तमान तुरामडीह यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट में नई यूरेनियम पेरॉक्साइड फैसिलिटी लगाया है। इसने अभिकर्मकों के अधिकतम इस्तेमाल तथा उत्पाद के बेहतर प्रति-प्राप्ति हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाया है। यूरेनियम पैरॉक्साइड एन.एफ.सी. में एक पर्यावरणीय सौम्य तथा संसाधन प्रथाओं को लाभ पहुंचाने वाली मूल्य संवर्धित उत्पाद है।

- **जादूगोड़ा में चतुर्थ चरण टेलिंग पॉण्ड**

  आपकी कंपनी ने जादूगोड़ा संयंत्र के टेलिंग प्रबंधन के लिए सामर्थ्य निर्माण की दिशा में अतिरिक्त 10 वर्षों के लिए प्रथम चरण टेलिंग पॉण्ड के द्वितीय फेज का निर्माण किया है।

- **तुरामडीह में द्वितीय चरण का टेलिंग पॉण्ड**

  आपकी कम्पनी तुरामडीह संयंत्र के लिए टेलिंग्स प्रबंधन की क्षमता निर्माण के लिए द्वितीय चरण के टेलिंग पॉण्ड के निर्माण का कार्य लिया है।

- **कॉपर टेलिंग्स से यूरेनियम प्रति-प्राप्ति संयंत्र**

  आपकी कंपनी ने राखा एवं सुरदा माइन्स में मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के संचालन से यूरेनियम प्रति-प्राप्ति हेतु दो यूरेनियम प्रति-प्राप्ति संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव किया है।

- **भाटीन माइन्स का आधुनिकीकरण**

  आपकी कंपनी नई पटरीविहीन मशीनरी तथा सुक्ष्म उपकरण को उत्क्रमित करते हुए ओर बॉडी के क्षेत्र को उन्नत करने इत्यादि के साथ भाटीन खान के संचालन का विस्तार करने का प्रस्ताव लाई है। 12वीं योजनावधि के मध्यक्रम समीक्षा में व्यवस्था की गई है।

- **सिंहभूम और तुम्मलापल्ली संचालन का डिबोटल-नेकिंग**

  सिंहभूम और तुम्मलापल्ली के संयंत्रों के सुगम और निरंतर संचालन में मुश्किलों को दूर करने के लिए तथा क्षमता का उच्चतम उपयोग करने के लिए आपकी कम्पनी अपने पूरे सात परियोजनाओं को दो अलग-अलग शीर्ष -सिंहभुम संचालन का डिबोट्लनेकिंग तथा तुम्मल्लापल्ली संचालन का डिबोट्लनेकिंग, में

वर्गीकृत करने का प्रस्ताव लाई है। सिंहभुम की गतिविधियों में शामिल होगा नरवापहाड़ में वाईडर अपग्रेडेशन, तुरामडीह के होइस्टिंग एवं क्रशिंग पद्धति में सुधार, खरकई नदी के वेयर एवं नदी के तट की सुरक्षा, जादुगोड़ा संयंत्र में मिश्रित लिच्ड स्लरी के रख-रखाव में सुधार, लिर्चींग एवं न्यूट्रेलाइजिंग के लिए जादुगोड़ा संयंत्र में मैकेनिकली एजीटेड सिस्टम को अपनाना। तुम्मलापल्ली की गतिविधियों में शामिल होगा- माइन्स के हैंगवॉल लोड का ट्रायल स्टॉपिंग तथा संयंत्र से निकल रहे पर्यावरणीय निर्मुक्त को नियंत्रित करना। 12वीं योजनावधि के मध्यक्रम समीक्षा में व्यवस्था की गई है।

1.4 समझौता ज्ञापन निष्पादन

भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ हुए समझौता ज्ञापन के संदर्भ में वर्ष 2013-2014 में आपकी कम्पनी के निष्पादन कार्य को "बहुत अच्छा" रेटिंग मिलने की आशा है।

2.0 लाभांश में तथा रिजर्व में स्थानान्तरण

आपके निदेशकगण 146,961.78 लाख रुपये के प्रदत्त पूंजी के ऊपर 214.00 लाख रुपये लाभांश देने का सिफारिश करते हुए प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं (विगत वर्ष यह राशि 1815.00 लाख रुपये थी) तद्नुसार लाभ से 214.00 लाख रुपये की यह राशि सामान्य आरक्षित राशि में स्थानान्तरित किया गया तथा वर्ष 2013-14 के लिये लेखा में 36.37 लाख रुपये (विगत वर्ष 308.46 लाख रुपये) लाभांश पर कर के लिए प्रावधान किया गया है।

3.0 अंश पूँजी

वर्ष के दौरान कम्पनी की अधिकृत अंशपूँजी 2500 करोड़ रुपये तथा 31.03.2014 को निर्गमित अंशपूँजी 1469.62 करोड़ रुपये हुई।

4.0 ऊर्जा संरक्षण/प्रौद्योगिकी का समावेश, अनुकूलन, नवात्पाद तथा विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं उपयोग

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217(1) (ई) (निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन में दिखाए गए विवरण) कम्पनी नियम 1988 के अनुसार पठित ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी का समावेश तथा विदेशी मुद्रा के उपयोग एवं अर्जन संबंधी विवरण इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक-1 में दिखलाया गया है।

5.0 औद्योगिक सम्बंध

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के साथ मधुर संबंध सहित संतोषजनक रहा। कर्मचारियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कल्याणकारी मुद्दों जैसे- पदोन्नति, प्रशासनिक उपाय, क्वार्टर आवंटन इत्यादि महत्वपूर्ण मुद्दों पर यूसिल प्रबंधन एवं यूरेनियम प्रतिनिधियों तथा ऑफिसर्स एशोसिएशन के बीच सौहार्द्रपूर्ण वार्ता होती रही।

6.0 श्रम शक्ति

31.03.2014 को आपकी कम्पनी में कर्मचारियों की कुल संख्या 4642 थी। कम्पनी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कम्पनी की कुल कार्यशक्ति का 48.48% है। 31.03.2014 को कम्पनी में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 6 तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या 12 थी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शनों के आधार पर आरक्षित कोटा भरने के लिए कम्पनी द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है।

7.0 प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी

वर्ष 2013-14 के दौरान आपकी कंपनी ने सभी स्तरों पर सौहार्द्रपूर्ण संबंध कायम रखा है। विभिन्न संचालित इकाइयों के कर्मचारियों की शिकायत से संबंधित मुद्दों को केंद्रित करते हुए शॉप समिति की कुल 40 बैठकें की गई। ये मुद्दे बाद में उच्च प्रबंधन की जानकारी में लाए गए। कर्मचारियों को भविष्य निधि के न्यास बोर्ड, ग्रैच्युटी निधि न्यास, मृत्यु लाभ योजना, कर्मचारी पारिवारिक सहायता योजना, कल्याण निधि योजना तथा को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आदि योजनाओं में प्रतिनिधित्व दिया गया। कर्मचारियों के प्रतिनिधि सुरक्षा समिति, कैन्टिन प्रबंधन समिति तथा स्पोर्ट्स समिति इत्यादि के सदस्यों के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

8.0 कर्मचारियों का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) के साथ पठित यथा संशोधित (कर्मचारियों का विवरण) नियम 1975 के अनुसार उक्त नियम के तहत वर्ष 2013-14 के दौरान पारिश्रमिक दिया गया जो कि निम्नवत् है :

i) श्री डी. आचार्य (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक) - रु. 29.98 लाख

ii) श्री एस. के. श्रीवास्तव, निदेशक (तकनीकी) - रु. 23.68 लाख

iii) श्री बी. एल. साबू, निदेशक (वित्त) - रु. 20.54 लाख

9.0 मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण

कुशलता से इन गतिविधियों को चालू करने के लिए आपकी कम्पनी रासायनिक प्रक्रिया से जुड़े भूमिगत हार्डरॉक खनन और खनिज प्रसंस्करण के आला क्षेत्र में संचालन कर रही है। परम आवश्यक होने की वजह से यह सभी स्तरों पर प्रशिक्षण में विश्वास रखता है। आपकी कंपनी ने कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए संरचनाबद्ध प्रशिक्षण मापदंड विकसित की है, जो कि समकक्ष तकनीकी वातावरण में समान कंपनियों के साथ नियामक प्राधिकारियों के द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ करती है।

इस संबंध में पिछले वर्ष की भांति वर्ग-ए एवं बी अधिकारियों तथा पर्यवेक्षकों को प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र नरवापहाड़ में प्रशिक्षण प्रदान की गई। व्याख्यान मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों से संबंधित थे :

1. मानव संसाधन विकास
2. प्रौद्योगिकी विकास
3. व्यक्तित्व विकास/ आंतरिक वैयक्तिक कौशल/ प्रबंधन विकास
4. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
5. पर्यावरण प्रबंधन

यूसिल के कुछ अधिकारियों सहित बाहरी वक्ताओं द्वारा कुल 49 व्याख्यान दिये गये। अधिकारियों को कुल 1084 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इनके अतिरिक्त विशिष्ट उपकरणों , प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं तथा आई.एस.ओ. 9001, आई.एस.ओ. :14001 और आई.एस.: 18001 के लिए भी प्रशिक्षण दिए गए। उपरोक्त के अलावे 140 अधिकारियों ने देश के विभिन्न भागों में सेमिनार / कार्यशालाओं में भाग लिया।

10.0 सुरक्षा

आपकी कम्पनी सभी कार्यकलापों पर सुरक्षा के आन्तरिक सुरक्षा संगठनों के ढांचे पर विशेष रूप से महत्व देती है । खान एवं प्रसंस्करण संयंत्र में सुरक्षा को सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जाता है । शून्य दुर्घटना प्राप्ति हेतु आंतरिक सुरक्षा संगठन के साथ चालू सुरक्षा मानकों की समय समय पर समीक्षा की गई । दुर्घटना को कम करने के लिए आपकी कंपनी के द्वारा अत्याधुनिक खनन प्रौद्योगिकी सहित उच्च कोटि के यांत्रिकीकरण को अपनाया गया है। आपकी कंपनी की हर इकाइयों में वार्षिक सुरक्षा अभियान आयोजित किये गये। सभी खान के यूसिल खान सुरक्षा समिति ने क्रॉस-सेक्सन कर्मचारियों वाली नियमित मासिक बैठक आयोजित किये, जिसमें लगभग चुक गई दुर्घटनाएँ, असुरक्षित क्रिया-कलाप तथा कार्य-प्रणालियों एवं पुनरीक्षणाधीन कार्य के दौरान घटित दुर्घटनाओं के ऊपर चर्चा करने के लिए यूनियन प्रतिनिधि, कर्मचारियों के निरीक्षक, स्वास्थ्य भौतिकविद उपस्थित हुए। स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रों में योग्य पेशेवर स्वास्थ्य चिकित्सकों के द्वारा सभी कर्मचारियों का नियोजन पूर्व एवं सामयिक स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। ग्रुप व्यावसायिक केन्द्रों में ठेका-कर्मियों सहित सभी कर्मचारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किए गए। प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण प्रोग्राम आयोजित किए गए।

11.0 निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.)

विगत वर्षों की तरह यूसिल ने अपने निगमित सामाजिक दायित्व क्रिया-कलापों को नये उत्साह के साथ और अपने बेहतर परिभाषित कार्यक्रम के माध्यम से आसपास के समुदायों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए नए क्षेत्रों में निगमित सामाजिक दायित्व पहल को क्रियान्वित किया। आपकी कम्पनी प्रबंधन संस्कृति का अभिन्न हिस्सा की तरह अपनी इकाइयों के समीप रहनेवाले समुदायों के निरंतर विकास के साथ अच्छी व्यवसायिक नागरिकता का अनुकरण की है। हमारी अनुकूल, व्यवस्थित और आवश्यकता आधारित निगमित सामाजिक गतिविधियाँ हमारे सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय विकास में योगदान करती है, जो कि हमारे वर्तमान की आवश्यकताओं को आनेवाले पुस्तों की जरूरत की माँग को बिना नुकसान पहुँचाये पूरा करती है। कम्पनी अपने निगमित सामाजिक दायित्व की गतिविधियों को विकसित रूप से सात क्षेत्रों में केन्द्रित एवं चिह्नित करती है जैसे कि- आधारभूत संरचना,

पेयजल, शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण, सिंचाई, स्वास्थ्य देखभाल, खेलकूद एवं संस्कृति इत्यादि अपनी सारी इकाइयों के लिए जारी समुदाय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत करती है।

निम्नलिखित सीएसआर गतिविधियाँ इन कार्यक्रम के तहत यूसिल में अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक किये गये।

i) आधारभूत संरचना- आधारभूत संरचना से संबंधित विकास जैसे कि- अधिकांश स्थानीय समुदायों के बीच सड़क का निर्माण एवं मरम्मत, नालियाँ, स्कूल की चहारदीवारी तथा जाहेर स्थान का भवन, सामुदायिक भवन का विकास इत्यादि वित्तीय वर्ष में किए गए। नए सी.एस.आर. पहल के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान पुरूष तथा महिलाओं के लिए जन शौचालय तथा स्नानागार का निर्माण के साथ-साथ कुछ स्थानीय विद्यालयों में छात्र तथा छात्राओं के लिए शौचालय का निर्माण किया गया।

ii) पेयजल- विगत वर्षों की तरह आसपास के गाँवों में निरन्तर रोजमर्रा के जीवन यापन के लिए स्थानीय समिति को नये ट्यूबवेल एवं हैण्डपम्प की स्थापना तथा रख-रखाव का कार्य दिया गया। नरवापहाड़ माइन्स से सटे हुए खुर्शी गाँव में ओवरहेड पेयजल टैंक का निर्माण इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे कि इस गाँव की लोगों को उत्तम पेयजल समस्या का समाधान हुआ।

iii) शिक्षा- गाँव के आस पास रहनेवाले गरीब बच्चों को प्रतिभा पोषण कार्यक्रम के तहत परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालय में दाखिला दिया गया और पोशाक, जूते, स्टेशनरी, किताबें, बैग इत्यादि दिये गए । मेधावी बच्चों को छात्रिवृत्ति और वित्तीय सहायता भी दिये गए ।

डेस्क, कुर्सियाँ, टेबल, ब्लैक बोर्ड इत्यादि भी अधिकांश स्थानीय ग्रामीण विद्यालयों को उपलब्ध कराये गए ।

iv) कौशल विकास प्रशिक्षण- कौशल विकास प्रशिक्षण के क्षेत्र में कंप्यूटर शिक्षा, अंग्रेजी एवं सूक्ष्म कौशल प्रशिक्षण, फिनाइल निर्माण, पत्ते की कटोरी निर्माण, जरी साड़ी निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया ।

v) सिंचाई- कुछ अवस्थाओं में आसपास के गाँवों में अच्छी फसल के लिए कुछ बीज तथा खाद एवं सिंचाई के लिए पम्प उपलब्ध कराये गये।

vi) स्वास्थ्य देखभाल- आसपास के गाँवों में साप्ताहिक स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई।

vii) खेल-कूद एवं संस्कृति- खेदकूद के क्षेत्र में फुटबॉल, जो कि पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र का काफी प्रसिद्ध खेल है, पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बहुत सारे ग्रामीण युवकों को नरवापहाड़ माइन्स के समीप के गाँवों में मुफ्त फुटबॉल कोचिंग तथा संबंधित खेदकूद का सामान दिया जाता है, जिससे कि जमशेदपुर फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में स्थानीय टीम भाग लेकर चैम्पियन बने। स्थानीय जन-जातीय नृत्य स्थानीय निवासियों को उनके सांस्कृतिक विरासत को कायम रखने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं।

परिणामस्वरूप सी.एस.आर. प्रोग्राम के व्यापक प्रभाव होने की वजह से यूसिल का मुख्य उद्देश्य अपने व्यवसाय को नीतियों, सामाजिक मैत्रीपूर्ण तथा सामुदायिक हितों, निरंतर विकास के साथ वर्ष के दौरान हासिल किया गया।

12.0 मान्यता एवं पुरस्कार

वर्ष के दौरान यूसिल के द्वारा निम्नलिखित पुरस्कार ग्रहण किए गए, जोकि उत्कृष्टता की ओर आपकी कम्पनी के प्रयासों के सम्मान को उजागर करता है।

पुरस्कार	पुरस्कार का स्तर	आवार्डी	पुरस्कार के प्रकार
नरवापहाड़ माइन्स	राष्ट्रीय	ग्रीनटेक फाउण्डेशन, नई दिल्ली	प्रशिक्षण उत्कृष्टता के लिए सिल्वर अवार्ड
तुरामडीह माइन्स	राष्ट्रीय	ग्रीनटेक इनवायर्न्मेंट अवार्ड	धातु एवं खनन क्षेत्र में पर्यावरण प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के लिए सिल्वर अवार्ड
यूसिल	राष्ट्रीय	ग्रीनटेक फाउण्डेशन	मानव संसाधन में प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के लिए गोल्ड अवार्ड
सी.एम.डी., यूसिल	राष्ट्रीय	आई.आई.टी., खड़गपुर	प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार
यूसिल	क्षेत्रीय	प्रभात खबर	झारखण्ड के लिए उत्कृष्ट योगदान
यूसिल	राष्ट्रीय	ईंडियन ट्रुडे ग्रुप	1. गैर रत्न श्रेणी में निगमित सामाजिक दायित्व एवं निरंतरता में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र इकाई का पुरस्कार 2. गैर रत्न श्रेणी में सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल पीएसयू के लिए पुरस्कार
यूसिल	राष्ट्रीय	ईंजिनियरिंग वाच	(उत्कृष्ट परियोजना के लिए अभियंत्रण उत्कृष्टता पुरस्कार) 2014 - "यूसिल तुरामडीह भूमिगत खान में हानिकारक गैसों एवं वेंटीलेशन पंखों के स्वचालित नियंत्रण का रिमोट मॉनिटरिंग"

13.0 कॉरपोरेट अभिशासन

कॉरपोरेट अभिशासन से संबंधित एक रिपोर्ट अनुलग्नक-II में दी गयी है।

14.0 सार्वजनिक जमा

वर्तमान समीक्षा वर्ष के दौरान कम्पनी ने किसी भी व्यक्ति से कोई जमा राशि नहीं स्वीकार की है।

15.0 इकोलॉजी एवं पर्यावरण संरक्षण

आपकी कम्पनी एक आई. एस. ओ. 14001:2004 प्रमाणित संस्था है। आपकी कम्पनी अपने चारों ओर की सभी इकाइयों में इकोलॉजी तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काफी जोर देती है तथा उच्च मानक को बनाए रखी है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के हैल्थ फिजिक्स यूनिट द्वारा जादूगोड़ा, नरवापहाड़, तुरामडीह एवं तुम्मलापल्ली के सभी प्रचालनों में तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में नियमित रूप से रेडियोधर्मिता की निगरानी रखती है। बाह्य गामा विकिरण, रेडॉन सांद्रता, वायु में आल्फा कणों की सक्रियता एवं भूमि तथा भूमिगत जल एवं मिट्टी आदि में रेडियम एवं यूरेनियम जैसे रेडियो न्यूक्लाइड्स की सांद्रता का आकलन नियमित रूप से किया जाता है। सतत् विकास की दिशा में सभी खान निर्मुक्तों को इसके औद्योगिकी उद्देश्यों में इस्तेमाल हेतु पुनरावर्तन करने के प्रयास किये गये हैं। संयंत्र के शोधित मल-जल एवं बहिश्रावी के कुछ अंशों का पुनरावर्तन किया जाता है। प्रसंस्करण संयंत्र से शोधित निर्मुक्तों को सार्वजनिक क्षेत्र में बहाने के पूर्व विनियामक अनुपालन हेतु जाँच की जाती है। क्षेत्र की इकोलॉजी एवं सौंदर्यता के रख-रखाव हेतु कम्पनी नियमित रूप से पौधारोपण का कार्य करती है। आपकी कम्पनी ने आसपास के क्षेत्रों में पड़े अपशिष्ट चट्टानों का प्रगतिशील उपचार किया है। इसके खान तथा प्रसंस्करण संयंत्र एवं टेलिंग पॉण्ड्स, संरक्षण एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। आपकी कम्पनी नरवापहाड़ टाउनशिप के पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली की देखरेख टी.यू.व्ही.-एन.ओ.आर.डी. द्वारा सत्यापित आई.एस.ओ.-14001:2004 के अनुसार करती है। आपकी कम्पनी यकीन करती है कि इसकी सुविधाएँ अपने आसपास के जीवन-स्तर में हर तरह से बढ़ोतरी करे। तद्नुसार टाउनशिप के प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र में, निवासियों एवं अन्य इच्छुक पार्टियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई।

16. आई.एस.ओ.प्रमाणीकरण

आपकी कम्पनी आई.एस.ओ. 9001:2008 (गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाण पत्र) आई.एस.ओ.-14001:2004 तथा आई.एस.18001:2007 (व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्था के लिए प्रमाण-पत्र) प्रमाणीकरण को बनाये रखा है। आई.एस. 18001:2007 प्रमाणीकरण के तहत जोखिम निर्धारण एवं प्रबंधन को भी कवर किया जाता है। आपकी कम्पनी का नरवापहाड़ टाउनशिप, 2013 में टी.यू.व्ही./एन.ओ.आर.डी. द्वारा आई.एस.ओ.-14001:2004 के लिए प्रमाणित हुई है, जो कि किसी भी खनन उद्योग टाउनशिप में अभूतपूर्व उपलब्धि है।

17. लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योग (एस.एम.ई.)

आपकी कम्पनी अपने आसपास के क्षेत्र के लघु एवं मध्यम उद्योगों के समुचित सामाजिक विकास में भूमिका अदा करती है। वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी लघु एवं मध्यम उद्योगों को सहायता पहुँचाते हुए बहुत सारे यंत्रों एवं उपकरणों के स्वदेशीकरण में सफलता हासिल की है और इस प्रकार बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत की है। यूसिल अभियंता एवं एस.एम.ई.के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संयुक्त प्रयासों से महत्वपूर्ण सफलता मिली है।

18. विदेश भ्रमण

इस वर्ष विदेश यात्रा पर 8.43 लाख रुपया खर्च हुआ जबकि विगत वर्ष 8.95 लाख खर्च हुआ था ।

19. विज्ञापन एवं प्रचार

विगत वर्ष के रु. 348.78 लाख की तुलना में इस वर्ष विज्ञापन तथा प्रचार कार्य पर रु. 549.15 लाख खर्च हुआ। यह खर्च नियुक्तियों एवं निविदा संबंधी सूचनाओं के प्रसारण पर किया गया। आपकी कंपनी विज्ञापन एवं प्रचार के लिए वेबसाइट के उपयोग में वृद्धि में प्रगतिशील है।

20 हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

वर्ष 2013-14 के दौरान कम्पनी ने राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत बने प्रावधानों एवं नियमों को कार्यान्वित करने की दिशा में प्रयास जारी रखा रखा है। प्रगति की समीक्षा

के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाती है। 16 से 20 सितम्बर 2013 के दौरान 'हिन्दी सप्ताह' मनाया गया। हिन्दी सप्ताह के दौरान हिन्दी निबन्ध, समभाषण एवं स्वरचित हिन्दी कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। वर्ष के दौरान आयोजन के अन्तर्गत कार्यालय के कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूसिल राजभाषा विभाग द्वारा यूसिल के विभिन्न इकाईयों/विभागों में हिन्दी कार्यशालाएँ आयोजित की गई।

वर्ष के दौरान कम्पनी के द्वारा उत्कृष्ट हिन्दी कार्यशाला आयोजन को ध्यान में रखते हुए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा कम्पनी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

21. लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स यू नारायण एण्ड कम्पनी (ई.आर. 0819), 110, अशोका प्लेस, एग्जीविशन रोड, पटना-800001 को नियुक्त किया है ।

22. अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.व्ही.सी.) के द्वारा अनुमोदन के आधार पर श्री बी. सी. गुप्ता, कम्पनी सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग (प.ऊ.वि.) के पत्र संख्या 10/5(2)/99-पी.एस.यू./2828 दिनांक 28.02.2014 के द्वारा अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किये गये। तद्नुसार वे दिनांक 14.03.2014 से अपने नियमित कार्यों के साथ-साथ मुख्य सतर्कता अधिकारी का कार्यभार ग्रहण किये।

23. सतर्कता

निवारक सतर्कता पर संगठन के नियमों एवं विनियमों के अनुसार कड़ाई से पालन हो, इस पर जोर दिया जाता है। सभी निविदा आमंत्रण सूचना को कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है तथा समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है । आपकी कम्पनी में पारदर्शिता लाने के लिए बोर्ड ने "एंटीग्रीटी पैक्ट" के साथ जालसाजी निरोधक नीति/व्हिसल ब्लोअर नीति की स्वीकृति दी है जिसे कम्पनी के वेबसाइट पर डाला गया है। वर्ष के दौरान सावधिक रिपोर्ट/रिटर्न केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत किये गए हैं । आपकी कम्पनी के मुख्य सतकर्ता अधिकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करती है एवं विभिन्न विभागों के साथ वरिष्ठ अधिकारी को औचक निरीक्षण, भण्डार सत्यापन एवं अन्य परिसर सम्बंधी कार्य हेतु प्राधिकृत किया गया है । आपकी कम्पनी में 28 अक्तूबर, 2013 से 2 नवम्बर, 2013 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया था ।

24. निदेशकों की नियुक्ति/समापन

निदेशकों के नाम	(दिनांक... से समापन)
श्री व्ही.आर. सदाशिवम, संयुक्त सचिव (वित्त) प.ऊ.वि.	31.12.2013
डॉ. अमलेन्दु सिन्हा, निदेशक, सी.आई.एम.एफ.आर., धनबाद	20.03.2014
प्रो. तारकेश्वर कुमार, निदेशक, एन.आई.टी., दुर्गापुर	20.03.2014
श्री बी.एल.साबू, निदेशक (वित्त), यूसिल	12.05.2014

25. दृष्टिकोण

आपकी कम्पनी देश के योजनाबद्ध परमाणु कार्यक्रम के दिशा में ईन्धन की निरन्तर आपूर्ति बनाए रखना चाहती है, जबकि झारखण्ड में सिंहभूम क्षेत्र से अधिकतम उत्पादन हेतु सभी प्रयास किये जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में तुम्मलापल्ली परियोजना को चालू करना प्राथमिकता के आधार पर जारी है। देश के यूरेनियम उत्पादन में तुम्मलापल्ली का सफल संचालन एक महत्वपूर्ण पूँजी है। तुम्मलापल्ली में प्रक्रिया प्रौद्योगिकी उत्पाद के निर्बाध अवक्षेपण हेतु निरन्तर उन्नति के अधीन है। तुम्मलापल्ली के चारों ओर सामर्थ्य विस्तारण नए खानों एवं संयंत्रों का निर्माण, उत्पाद का अनुप्रवाह प्रसंस्करण इत्यादि की योजना भी बनाई गई है।

आनेवाले वर्षों में परमाणु ऊर्जा विभाग के समस्त कार्यक्रम की दिशा में यूरेनियम खनन की सामान्य स्वीकृति के लिये आपकी कम्पनी का प्रयास कल्याणकारी क्रियाकलापों में अधिक जोर के साथ चालू रहेगा। कर्नाटक में गोगी, मेघालय में के.पी.एम., आंध्रप्रदेश में लाम्बापुर में संभावित उत्पादन केन्द्रों के आसपास स्थानीय आबादी की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयासों का विस्तार किया जा रहा है ताकि यूरेनियम खनन के दुष्प्रभावों के मिथकों का शमन हो सके।

26. निदेशकों का उत्तरदायित्व सम्बंधी विवरण

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2,एए) के प्रावधानों के अनुसार आपके निदेशकगण बताते हैं कि :

(i) वार्षिक प्रतिवेदन की तैयारी में लागू लेखा मानक को अपनाया गया है ।

(ii) आपके निदेशकों ने उन्हीं लेखा-नीतियों को अपनाया है जो साधारणतया स्वीकृत लेखा उद्देश्यों के लिए मान्य हैं । इसे संगतरूप से अपनाया गया है तथा इसके साथ न्याय एवं मूल्यांकन किया गया है जो कि विवेकसंगत तथा न्यायपूर्ण है जिससे कि वित्तीय वर्ष के अंत में तथा उसी अवधि में लाभ हानि संबंधी सच्चा एवं स्पष्ट विचार प्रस्तुत किया जा सके ।

(iii) आपके निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी सुरक्षा एवं बचाव तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए अभिलेख रखने में मुख्य रूप से पर्याप्त सावधानी रखी है ।

(iv) आपके निदेशकों ने 'चालू संस्थान' के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है ।

27. आभार प्रदर्शन

आपकी कम्पनी परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु खनिज गवेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, नाभिकीय ईंधन समिश्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, झारखण्ड सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, मेघालय सरकार, कर्नाटक सरकार, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, लोक उद्यम तथा अन्य मंत्रालयों के विभाग और भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संवैधानिक लेखा परीक्षा, मुख्य वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-iv, नई दिल्ली, बैंकर्स एवं सभी अन्य एजेंसियाँ जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी से संबंधित है, द्वारा निरन्तर प्राप्त दिशा-निर्देश एवं सहायता के लिए आभार प्रकट करती है। आपकी कम्पनी सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट फॉर माइनिंग एण्ड फ्यूल रिसर्च, धनबाद, नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स एण्ड ग्राउण्ड कन्ट्रोल, कोलार, इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर तथा इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद से प्राप्त प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता की दिशा में वैज्ञानिकी एवं अभियंत्रण सहयोग की भी प्रशंसा करती है। कम्पनी, कर्मचारियों को भी उनके हार्दिक प्रयासों एवं कठिन परिश्रम के लिए भी आभार प्रकट करती है। कम्पनी के कर्मचारी यूनियन एवं अधिकारी यूनियन के द्वारा दिये गये समर्थन के लिए भी कम्पनी आभार प्रकट करती है। आपके कम्पनी यूसिल की इकाईयों के आसपास निवास करने वाले समुदायों स्थानीय मिडिया, एन.जी.ओ. तथा समुदाय के विशिष्ट नागरिकों द्वारा दिये गये समर्थन के लिए भी आभार प्रकट करती है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

(डी.आचार्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

कोलकाता
दिनांक : 18 सितम्बर 2014

स्वदेशीकरण की पहल

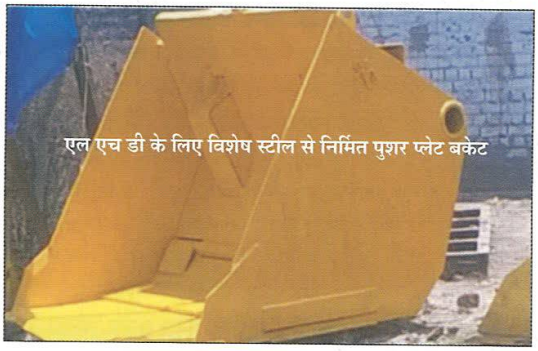
एल एच डी के लिए विशेष स्टील से निर्मित पुशर प्लेट बकेट

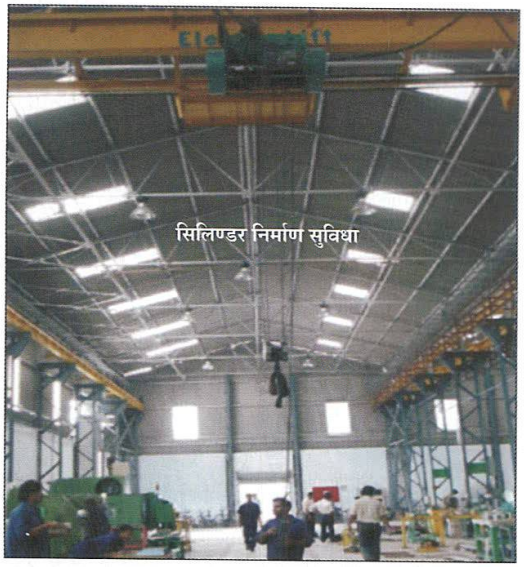
सिलिण्डर निर्माण सुविधा

हाई प्रेशर हाइड्रॉलिक सिलिण्डर

स्पेशल कास्टिंग हेतु रासायनिक प्रतिबद्ध बालू के लिए निरन्तर मिक्सर

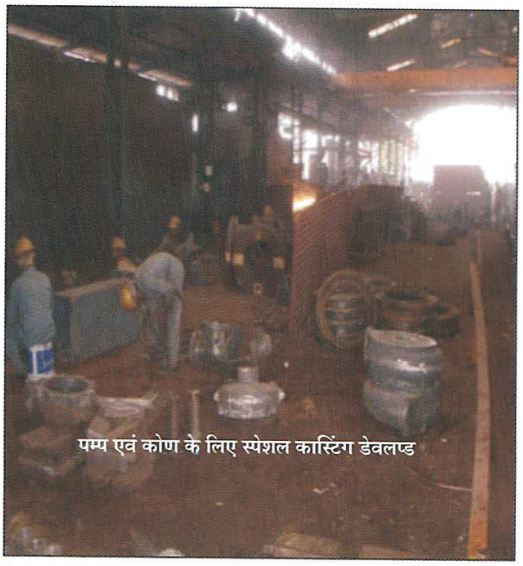
पम्प एवं कोण के लिए स्पेशल कास्टिंग डेवलप्ड

यूसिल ने स्वदेशी उपकरणों एवं कलपुर्जों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को एकीकृत करने का प्रयास किया है, जो कि किफायती, लागत प्रभावी तथा गुणात्मक रूप से स्वीकार्य थे। लगभग 35% के कलपुर्जे, विशेषकर आयातित खनन उपकरणों से संबंधित, स्वदेशी थे।

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-I

कम्पनी नियम, 1988 के अन्तर्गत अपेक्षित (निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन में दिया गया) विवरण

क) ऊर्जा संरक्षण

अ) ऊर्जा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय लागू किये गए/अपनाए गए:

i) पम्प वितरण प्रतिरोध को कम करने के लिए पुराने शॉफ्ट पम्प वितरण लाइन को नए के साथ प्रतिस्थापित किया गया।

ii) खान के जल के उपचार संयंत्र में मोटर का अनुक्रमिक स्वचालन।

iii) तुरामडीह मेन रिसिविंग स्टेशन में डिजिटल एनर्जी मीटर का उपयोग।

iv) खान एवं संयंत्र में व्यापक सौर प्रकाश एवं सौर हीटिंग सुविधा।

v) एल.ई.डी. ट्यूब का उपयोग।

ब) ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए अतिरिक्त निवेश के साथ निम्नलिखित प्रस्तावों को लागू किया जाता है-

i) खदानों में अधिक ऊर्जा वाली बिजली की मशीनों के साथ न्यूमेटिक मशीनों का प्रगतिशील प्रतिस्थापन।

ii) डिक्लाइन परिवहन से शॉफ्ट हॉस्टिंग तक क्रमिक परिवर्तन।

स) (अ) एवं (ब) उपायों को अपनाये जाने के बाद सम्बंधित क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत में कमी आएगी ।

विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं उपयोग

आपकी की कम्पनी निर्यात व्यापार में संलग्न नहीं है तथापि कलपूर्जों एवं पूँजीगत सामानों के क्रय पर वर्ष के दौरान सी.आई.एफ. आधार पर रु.175.07 लाख (गत वर्ष रु.378.52 लाख) रुपये की विदेशी मुद्रा का उपयोग किया गया ।

प्रपत्र-बी

अनुसंधान तथा विकास तथा प्रौद्योगिकी ग्रहण करने के सम्बंध में विवरण प्रपत्र :

अनुसंधान एवं विकास (आर.एण्ड डी.)

विशेष क्षेत्र जहाँ अनुसंधान एवं विकास का कार्य किया गया

क) सिंहभूम अपरूपण क्षेत्र, झारखण्ड में यूरेनियम लोड के लिए गैर प्रविष्टि प्रकार के स्टॉपिंग विधि का विकास।

ख) यूरेनियम पैरॉक्साइड के अधिकतम अवक्षेपण के फलस्वरूप अधिक सौम्य प्रवाह के लिए एजीटेटर प्रोफाइल की पुनर्संरचना।

ग) तुम्मलापल्ली खान में हैंगवॉल लोड के रॉक मैकेनिक प्रोपर्टीज का निर्धारण।

उपर्युक्त आर.एण्ड डी. कार्यों के फलस्वरूप हुए लाभ

क) प्रस्तावित स्टॉपिंग पद्धति का सफलतम कार्यान्वयन निम्नलिखित में सहायता करेगा-

i) उच्चतम उत्पादकता

ii) प्रचालन में उन्नत सुरक्षा

ख) यूरेनियम पैरॉक्साइड अवक्षेपण के लिए एजीटेटर प्रोफाइल एवं मानकों का विकास निम्नलिखित में सहायता करेगा-

i) एम.डी.यू. के स्थान पर यूरेनियम पैरॉक्साइड (एक पर्यावरणीय सौम्य उत्पाद) का उत्पादन आरम्भ करने हेतु सक्रियता

ii) हाइड्रोजन पैरॉक्साइड का इष्टतम उपयोग

iii) राल के नुकसान में कमी

ग) तुम्मलापल्ली खान में हैंगवॉल लोड के रॉक मैकेनिक प्रोपर्टीज का निर्धारण निम्नलिखत में सहायता करेगा-

i) तुम्मलापल्ली में माइनिंग हैंगवॉल लोड के लिए उन्नत रूफ कॉन्ट्रोल प्रणाली तथा सपोर्ट सिस्टम की अभिकल्पना

ii) तुम्मलापल्ली खान के हैंगवॉल लोड में विशाल यूरेनियम रिजर्व को बन्द करना।

भविष्य की रूपरेखा

क) पम्पिंग की अनुकूलता के लिए प्रसंस्करण संयंत्र में विभिन्न स्लरी की चिपचिपाहट का अध्ययन।

ख) कॉपर टेलिंग्स में यूरेनियम प्रतिप्राप्ति पद्धति का अध्ययन।

4. अनुसंधान एवं विकास पर खर्च

(क) पूँजी	रु. 30.18 लाख
(ख) राजस्व	रु. 425.92 लाख
कुल	रु. 456.10 लाख

5. प्रौद्योगिकी समावेश, अनुकूलन एवं नवीनीकरण

सिंहभूम अपरूपण क्षेत्र में विशिष्ट संशोधन के साथ गैर प्रविष्टि प्रकार के स्टॉपिंग पद्धति का प्रयोग, प्राद्योगिकी का एक अभिनव कदम है। उच्च उत्पादकता एवं संचालन में उन्नत सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए पद्धति एवं मापदंड बनाई गई है।

यूरेनियम पैरॉक्साइड अवक्षेपण के सफल क्रियान्वयन की दिशा में एजीटेटर प्रोफाइल की अभिकल्पना, कम्पनी के लिए पर्यावरणीय अनुकूल उत्पाद के रूप में परिवर्तन तथा इसके मानकीकरण की दिशा में एक कदम है।

तुम्मलापल्ली खान में हैंगवॉल लोड से अयस्क को विकसित करने के लिए अभिनव समर्थन प्रथाओं के माध्यम से स्टॉपिंग की नवीनतम विधि तथा रॉक प्रोपर्टीज के विस्तृत अध्ययन के माध्यम से ब्लास्टिंग पद्धति और संबद्ध प्रौद्योगिकी भारतीय खनन उद्योग में अद्वितीय है।

कौशल विकास

आदिवासी महिलाओं को जरी साड़ी बनाने का प्रशिक्षण

तुरामडीह में यूसिल औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

आदिवासी महिलाओं को भूमिगत विस्फोट हेतु मिट्टी का डंठल बनाने का प्रशिक्षण

आसपास की महिला को फोर्कलिफ्ट संचालन का प्रशिक्षण

कौशल विकास, यूसिल के सामुदायिक पहलों का एक लक्ष्य है स्थानीय आबादी आत्मनिर्भर एवं सक्षम बनाते हुए जीविकोपार्जन के लायक बनाने क्रम में उन्हें रोजगार कौशल प्रदान करना।

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-II

निगमित अभिशासन

कम्पनी को विश्वास है कि उन्नत कॉरपोरेट अभिशासन पारदर्शिता, स्पष्टीकरण एवं सत्यनिष्ठा को बढ़ाता है और कॉरपोरेट अभिशासन के अपने समस्त कार्यों में निष्कपटता एवं पारदर्शिता के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है ।

निदेशक मण्डल

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अन्तर्गत यूसिल एक सरकारी कम्पनी है। इसकी समस्त अभिदत्त पूँजी भारत के राष्ट्रपति के पास है तथा इसके 3 शेयर उनके द्वारा नामजद व्यक्तियों के पास हैं ।

निदेशक मण्डल में कार्यपालकों तथा गैर कार्यपालकों का उचित समिश्रण है। 31.03.2013 को बोर्ड में 10 निदेशक हैं जिनमें (i) 3 पूर्ण कालीन कार्यरत निदेशक हैं यथा- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (तकनीकी) तथा निदेशक (वित्त) और (ii) 7 अंश कालिक गैर कार्यपालक निदेशक हैं। बोर्ड की बैठक नियमित अन्तराल पर होती है तथा यह कम्पनी के उचित निर्देशन एवं प्रबंधन के प्रति उत्तरदायी है।

मार्च 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में बोर्ड के निदेशकों की सात बैठकें आयोजित की गई जो इस प्रकार हैं- 10.06.2013, 21.06.2013, 19.07.2013, 23.08.2013, 30.09.2013, 20.12.2013 एवं 30.01.2014। निदेशकों की संख्या, बोर्ड की बैठकों में उनकी उपस्थिति एवं वार्षिक साधारण सभा तथा असाधारण बैठकों में उनकी उपस्थिति इस प्रकार थी :

31.03.2014 को नाम एवं पदनाम	श्रेणी	बोर्ड की बैठक		30.09.13 को हुई वार्षिक साधारण सभा में उपस्थिति	अन्य निदेशकों की संख्या
		कार्यकाल अवधि में हुई	उपस्थिति		
कार्यकारी निदेशक					
श्री डी.आचार्य, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	क्रियाशील	06	06	हाँ	-
श्री एस.के.श्रीवास्तव, निदेशक (तकनीकी)	क्रियाशील	06	06	-	-
श्री बी.एल.साबू, निदेशक (वित्त) (12.05.2014 तक)	क्रियाशील	06	05	-	-
गैर कार्यकारी निदेशक					
डॉ. सी.बी.एस.वेंकटरमणा, अपर सचिव (आई एण्ड एम) प.ऊ.वि. (30.09.2013 तक)	अंशकालीन पदेन	05	05	हाँ	-
श्रीमती चित्रा रामचन्द्रन, संयुक्त सचिव (आई.एण्ड एम.), प.ऊ.वि. (28.08.2013 से)	अंशकालीन पदेन	04	03	हाँ	-
श्री व्ही. आर. सदाशिवम, संयुक्त सचिव (वित्त), प.ऊ.वि. (31.12.2013 तक)	अंशकालीन पदेन	05	03	-	-
श्री एन.साईबाबा, मुख्य कार्यकारी, एन.एफ.सी.	अंशकालीन	06	05	-	-
श्री पी.एस.परिहार, निदेशक, ए.एम.डी.	अंशकालीन	06	04	-	-
डॉ.अमलेन्दु सिन्हा, निदेशक, सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ माइनिंग एण्ड फ्यूल रिसर्च (20.03.2014 तक)	अंशकालीन	06	05	-	-
प्रो0 तारकेश्वर कुमार, निदेशक, एन.आई.टी. दुर्गापुर (20.03.2014 तक)	अंशकालीन	06	02	-	-

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा-617 के अनुसार पूर्णकालिक के लिए कार्यरत निदेशकों का वेतन भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है क्योंकि यह भारत सरकार की कम्पनी है। अंशकालिक निदेशकों के लिए जो या तो सरकारी अधिकारी हैं अथवा सरकारी उपक्रम के अधिकारी होते हैं उन्हें बैठक में उपस्थित होने पर कोई शुल्क नहीं प्रदान किया जाता है ।

लेखा परीक्षण समिति

आपकी कम्पनी की बोर्ड ने एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक लेखा परीक्षण समिति का गठन किया है। लेखा परीक्षण समिति की संरचना निम्नवत् है-

1.	डॉ. अमलेन्दु सिन्हा (निदेशक, सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ माइनिंग एण्ड फ्यूल रिसर्च, धनबाद)	अध्यक्ष (20.03.2014 तक)
2.	डॉ. सी. बी. एस. वेंकटरमणा (अपर सचिव, आई एण्ड एम- प.ऊ.वि.)	सदस्य
3.	श्री एन.साईबाबा (मुख्य कार्यकारी, एन.एफ.सी.)	सदस्य
4.	श्री एस.के.श्रीवास्तव (निदेशक, तकनीकी-यूसिल)	सदस्य

पारिश्रमिक समिति

आपकी कम्पनी की बोर्ड ने एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। पारिश्रमिक समिति की संरचना निम्नवत है-

1.	डॉ. अमलेन्दु सिन्हा (निदेशक, सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ माइनिंग एण्ड फ्यूल रिसर्च, धनबाद)	अध्यक्ष (20.03.2014 तक)
2.	श्री पी.एस.परिहार निदेशक, ए.एम.डी.	सदस्य
3.	श्री एस.के.श्रीवास्तव (निदेशक तकनीकी, यूसिल)	सदस्य
4.	श्री बी.एल.साबू (निदेशक (वित्त), यूसिल)	सदस्य

आचरण नियमावली

कम्पनी के पास अपना आचरण नियमावली है जो बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन पर लागू है और इसे कम्पनी के वेबसाइट पर डाल दिया गया है । इंटीग्रिटी पैक्ट सहित जालसाजी निरोधक नीति /व्हीसिल ब्लोअर नीति बोर्ड के द्वारा अनुमोदित हैं और यह कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

साधारण बैठकें

विगत 3 वर्ष के दौरान आयोजित वार्षिक साधारण बैठकों/असाधारण बैठकों की संख्या इस प्रकार हैं :

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2012-13 (वार्षिक साधारण बैठक)	30.09.2013	12.30 बजे	कोलकाता
2011-12 (वार्षिक साधारण बैठक)	27.09.2012	13.00 बजे	कोलकाता
2010-11 (वार्षिक साधारण बैठक)	27.07.2011	13.00 बजे	कोलकाता

प्रमुख विशिष्टताएँ

अनुलग्नक-I

(लाख रुपयों में)

	विवरण	2013-14	2012-13	2012-13 की तुलना में वृद्धि/(कमी)	2012-13 की तुलना में वृद्धि/(कमी)
					% में
(क)	**परिचालन परिणाम**				
	टर्नओवर	**79,529.93**	82,716.45	(3,186.52)	(3.85)
	सकल आय	**81,429.78**	85,512.28	(4,082.50)	(4.77)
	सकल व्यय	**79,684.41**	71,108.37	8,671.81	12.05
	सकल लाभ	**1,632.77**	14,421.21	(12,784.21)	(88.67)
	कर पश्चात् शुद्ध लाभ	**1,069.45**	9,078.74	(8,009.29)	(88.22)
(ख)	**वर्ष के अंत की वित्तीय स्थिति**				
	शेयर पूँजी	**146,961.78**	143,961.78	3,000.00	2.08
	आरक्षित एवं अधिशेष	**36,516.29**	35,697.21	819.08	2.29
	नियोजित पूँजी	**22,220.54**	45,977.24	(23,756.70)	(51.67)
	निवल मालियत	**183,478.07**	181,782.46	3,819.08	2.13
	सकल निरुद्ध परिसंपत्ति	**148,617.15**	145,357.93	3,259.22	2.24
	मूल्य-ह्रास	**71,877.94**	64,417.68	7,460.26	11.58
	शुद्ध निरुद्ध परिसंपत्ति	**76,739.21**	80,940.26	(4,201.05)	(5.19)
	सम्पत्ति सूची	**6,315.55**	8,119.25	(1,803.70)	22.22
(ग)	**लाभकारिता**				
	(i) प्रतिशतता :				
	बिक्री में सकल लाभ/(हानि)	**2.05**	17.43		
	बिक्री में शुद्ध लाभ/(हानि)	**1.34**	10.98		
	निवल मालियत में सकल लाभ/(हानि)	**0.89**	7.93		
	निवल मालियत में शुद्ध लाभ/(हानि)	**0.58**	4.99		
	नियोजित पूँजी में सकल लाभ/(हानि)	**7.35**	31.37		
	नियोजित पूँजी में शुद्ध लाभ/(हानि)	**4.81**	19.75		
	इकाई पूँजी में सकल लाभ/(हानि)	**1.11**	10.02		
	बिक्री में माल सूची	**7.94**	9.82		
	नियोजित पूँजी में बिक्री	**357.91**	179.91		
	(ii) अनुपात में				
	चालू परिसंपत्तियों की चालू देयताएं	**0.38:1**	0.58:1		
	तत्काल परिसंपत्तियों की चालू देयताएं	**0.32:1**	0.48:1		

कम्पनी की वित्तीय स्थिति

अनुलग्नक-II

31 मार्च, 2014 तथा 2013 का संक्षिप्त तुलन पत्र

(लाख रुपयों में)

	विवरण	2013-14	2012-13	2012-13 की तुलना में वृद्धि/(कमी)
1	**कम्पनी का स्वामित्व**			
(क)	**अचल परिसम्पत्ति**			
	सकल ब्लॉक	**148,617.15**	145,357.93	3,259.22
	घटाया : मूल्य ह्रास	**71,877.94**	64,417.68	7,460.26
	शुद्ध ब्लॉक	**76,739.21**	80,940.25	(4,201.02)
	दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	**4,380.01**	5,394.34	(1,014.33)
	प्रगतिशील पूँजीगत कार्य/स्टॉक	**174,229.67**	145,681.36	28,548.32
	उप-योग (क)	**255,348.89**	232,015.95	23,332.96
(ख)	**चालू परिसम्पत्तियाँ**			
(i)	व्यापाराधीन स्टॉक, भण्डार, प्रत्यक्ष माल, फुटकर देनदारी,उपार्जित ब्याज	**15,775.64**	17,181.27	(2,235.23)
(ii)	नकद या वस्तु के रूप में या वस्तु से प्राप्त मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम	**8,557.05**	8,958.53	428.11
(iii)	नकद तथा बैंक में जमा शेष राशि	**12,087.91**	20,141.03	(8,053.11)
	उप-योग (ख)	**36,420.60**	46,280.82	(9,860.24)
	योग - 1 (क + ख)	**291,769.49**	278,296.77	13,472.72
2	**कम्पनी का ऋण**			
	(क) माल, सेवाओं, चालू देनदारियों तथा अन्य प्रावधानों के लिए	**99,846.03**	90,589.75	9,256.28
	(ख) कम्पनी की शुद्ध मालियत			
	अंश पूँजी	**146,961.78**	143,961.78	3,000.00
	आरक्षित निधि एवं अधिशेष	**36,516.29**	35,697.21	819.08
	शेयर आवेदन के पैसे, लंबित आवेदन	**1,000.00**	-	1,000.00
	उप-योग (ख)	**184,478.07**	179,658.99	4,819.08
	(ग) आस्थगित कर दायित्व (ग)	**7,445.39**	8,048.03	(602.64)
	योग 2 (क + ख + ग)	**291,769.49**	278,296.77	13,472.72

कम्पनी की आय तथा व्यय का लेखा

अनुलग्नक-III

31 मार्च, 2014 तथा 2013 का संक्षिप्त तुलन पत्र

(लाख रुपयों में)

	विवरण	2013-14	2012-13	2012-13 की तुलना में वृद्धि/(कमी)
1	कम्पनी की आय			
	(क) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा यूरेनियम सांद्रों के अधिग्रहण से	**78,404.92**	82,090.80	(3,685.88)
	(ख) गौण उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क को छोड़कर)	**1,018.28**	265.20	453.09
	(ग) अन्य प्राप्तियाँ	**2,006.58**	2,856.28	(849.70)
	उप-योग	**81,429.78**	85,512.28	(4,082.50)
	(घ) अन्तिम स्टॉक में वृद्धि/(ह्रास)	**(1,482.71)**	53.67	(1,429.03)
	योग (1)	**79,947.07**	85,565.95	(5,511.54)
2	**कम्पनी द्वारा भुगतान तथा व्यवस्था**			
	(क) उपभुक्त सामग्री का मूल्य	**6,411.82**	6,347.12	64.70
	(ख) कर्मचारी हित में खर्च	**24,805.99**	21,988.32	2,817.67
	(ग) वित्तीय लागत (ब्याज पर व्यय)	**7,430.88**	2,803.87	1,927.01
	(घ) मूल्य ह्रास और ऋणशोधन पर व्यय	**7,793.44**	7,795.47	(2.03)
	(ड.) अन्य व्यय	**34,459.57**	32,124.15	2,335.42
	योग (2)	**78,201.70**	71,058.93	7,142.77
3	**समायोजन पूर्व कम्पनी का सकल लाभ (1-2)**	**1,745.37**	14,399.69	(12,654.30)
4	**जिसका समायोजन निम्नानुसार किया गया**			
	पूर्वकालिक समायोजन	**(112.60)**	17.30	(129.90)
	कर पूर्व लाभ	**1,632.77**	14,416.98	(12,784.20)
	घटाया : आयकर का प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	**563.32**	5,338.24	(4,774.92)
	कर पश्चात् लाभ	**1,069.45**	9,078.74	(8,009.29)
	विगत वर्ष का लाया गया अधिशेष	**24,803.18**	19,662.90	5,140.28
	विनियोग के पूर्व अधिशेष (4 क)	**25,872.63**	28,741.64	(2,869.02)
	विनियोजन			
	प्रस्तावित सामान्य आरक्षित निधि	**214.00**	1,815.00	(1,601.00)
	प्रस्तावित लाभांश	**214.00**	1,815.00	(1,601.00)
	प्रस्तावित लाभांश पर कर	**36.37**	308.46	(272.09)
	उप-योग (4ख)	**464.37**	3,938.46	(3,474.09)
	अधिशेष को तुलनपत्र में ले जाया गया (4क-4ख)	**25,408.26**	24,803.18	605.08

आय का वर्गीकरण

मूल्य रुपए में
(करोड़ के सन्निकट)

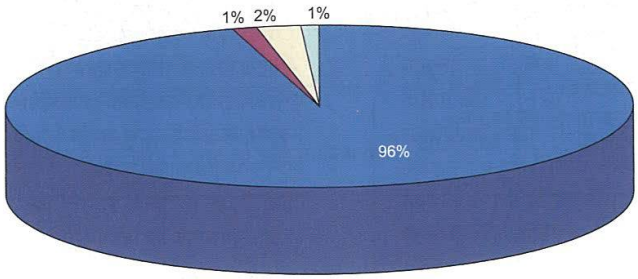

- U_3O_8 की क्षतिपूर्ति रू. 784 करोड़
- उपोत्पादों की विक्री रू. 10 करोड़
- व्याज रू. 14 करोड़
- अन्य आय रू. 6 करोड़

व्यय का वितरण

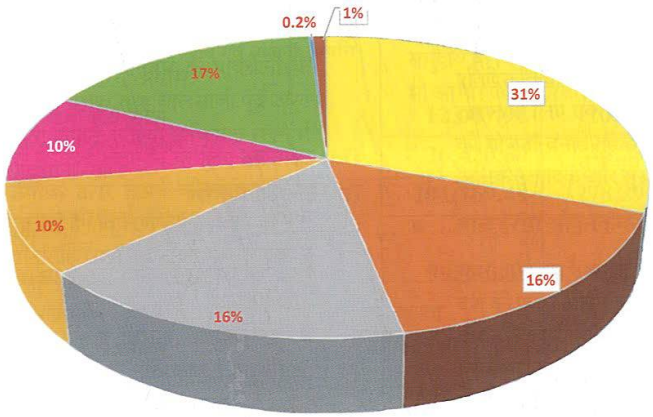

- कर्मचारियों का भुगतान (248 करोड़)
- मरम्मत एवं अनुरक्षण (129 करोड़)
- कच्चा माल, स्टोर्स एवं स्पेयर्स (131 करोड़)
- ऊर्जा (77 करोड़)
- ह्रास (78 करोड़)
- अन्य व्यवसायिक व्यय (133 करोड़)
- लाभांश (2 करोड़)
- कर (आस्थगित कर एवं लाभांश कर सहित) (6 करोड़)

आय में वृद्धि

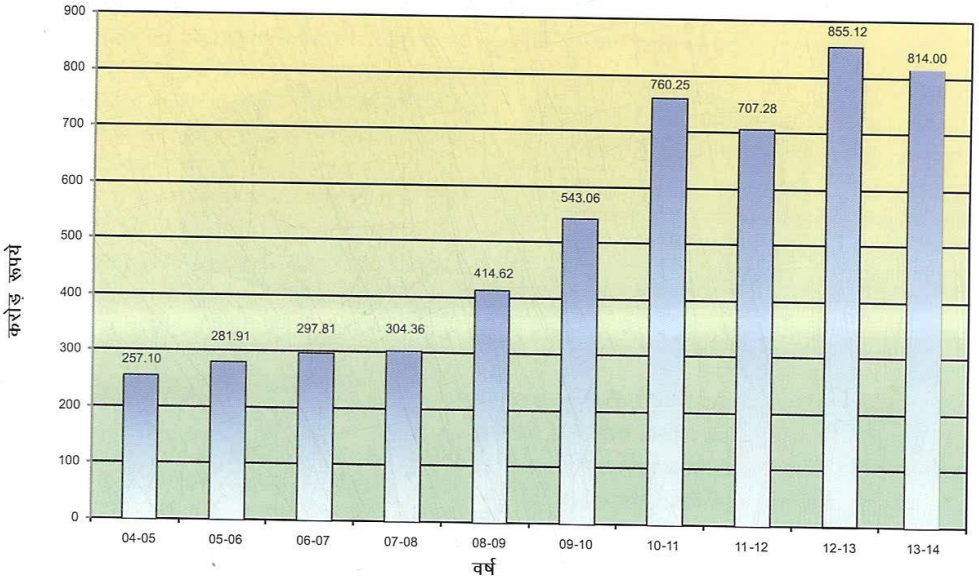

निवल मालियत (नेटवर्थ)

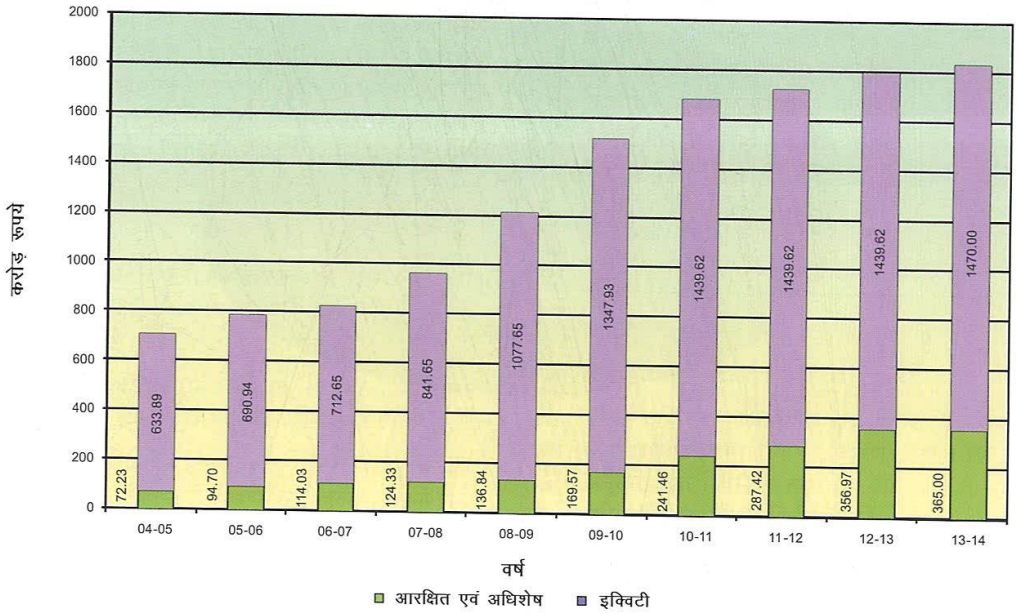

नियोजित पूंजी

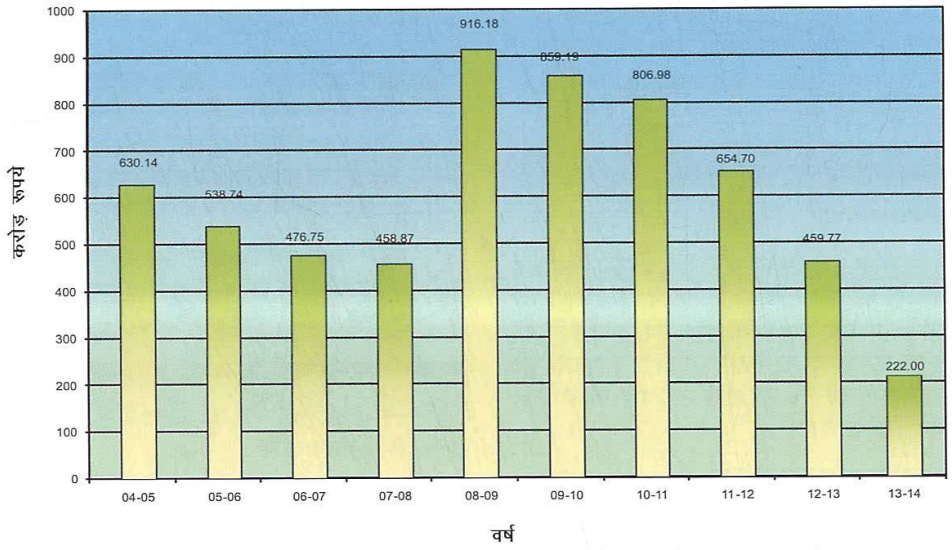

सकल तथा शुद्ध परिसंपत्ति

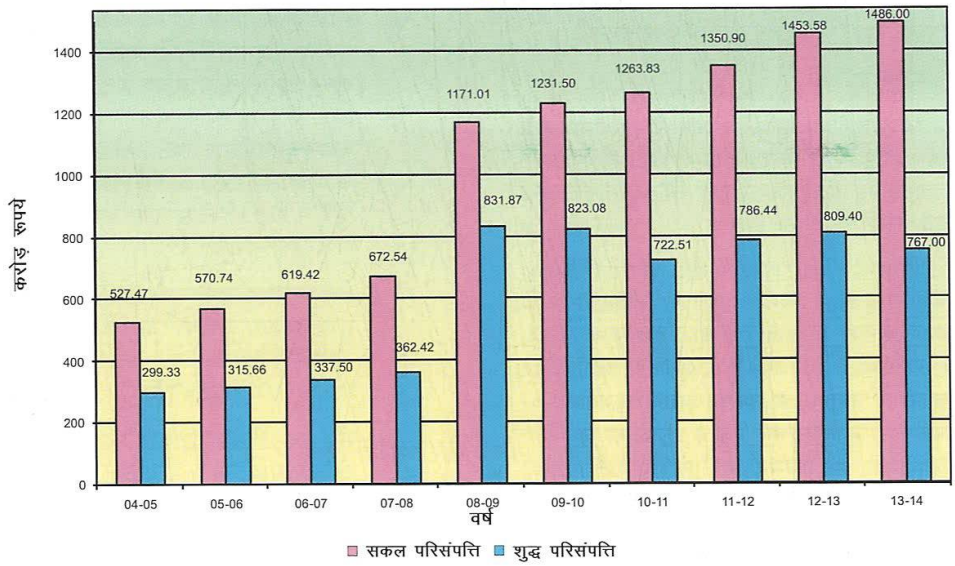

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्य गण

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

1. हमने यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (कम्पनी) का संलग्न वित्तीय विवरण का अंकेक्षण किया जिसमें 31 मार्च, 2014 का तुलन-पत्र, लाभ-हानि का विवरण, समाप्त वर्ष का कैश-फ्लो विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संग्रह एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल है।

वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन का दायित्व

2. प्रबंधन का दायित्व इन वित्तीय विवरणों, जिनमें वित्तीय स्थिति का सही एवं उचित विचार, वित्तीय निष्पादन एवं कैश-फ्लो विवरण से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) के अंतर्गत अधिसूचित एकाउन्टिंग स्टैंडर्ड कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के संदर्भ में कॉरपोरेट मंत्रालय के जनरल परिपत्र 15/2013 दिनांक 13 सितम्बर, 2013 के अनुरूप पठित को तैयार करना है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व है कि लेखांकन के आधार पर वित्तीय विवरण पर हम अपना विचार प्रकट करें। हमने लेखा परीक्षण भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा स्वीकृत मानक लेखा परीक्षण पद्धति के अनुसार किया ।

4. लेखा परीक्षकों की राशि के बारे में साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रिया को अपनाया गया है और वित्तीय विवरण में इसका प्रकटीकरण किया गया है। अपनायी गई प्रक्रिया लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करता है जिसमें वित्तीय विवरणों में वस्तुओं के गलत विवरण के जोखिम का निर्धारण भी शामिल किया गया है , चाहे जालसाजी या गलती से हो। इन जोखिमों का निर्धारण करने में लेखा परीक्षक कंपनी के आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करता और वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण में लेखा-परीक्षा प्रक्रिया को भी अपनाता है जो कि परिस्थितियों के अनुसार उचित है। लेखा परीक्षा में इस्तेमाल लेखांकन नीतियों का उचित मूल्यांकन एवं प्रबंधन द्वारा तैयार किया गया लेखांकन आकलन एवं साथ ही साथ वित्तीय विवरण के सभी पहलुओं के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल रहता है।

5. हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा जो लेखा-परीक्षण किया गया है वह हमारे विश्वासों का न्याय संगत आधार प्रस्तुत करता है।

मामले की अवधारणा

6. हम बिना अपनी राय को सीमित किये मामलों की ओर ध्यानाकृष्ट करते हैं:

   क) वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 की दर पर, वर्ष 2010-11 के लिए प्रयोज्य दर की तरह यूरेनियम सांद्र की क्षतिपूर्ति के राजस्व की मान्यता से सम्बंधित लेखों की टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 18, पारा 3 पर परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

   ख) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या 26.2 (क) से संबंधित जादूगोड़ा में भाटिन सहित 1312.62 एकड़ खनन पट्टे का कार्य लंबित है तथा महुलडीह का 288.20 एकड़ जमीन एवं 31.77 एकड़ अतिरिक्त जमीन तुरामडीह के लिए, 290.45 हैक्टेयर जमीन के.पी.एम. में, 1337.62 एकड़ जमीन लाम्बापुर एवं गोगी में 39.13 हैक्टेयर जमीन का खनन पट्टा अभी प्राप्त किया जाना है ।

   ग) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या-26.2 से संबंधित राज्य सरकार/निजी पार्टी से अधिग्रहित 1548.09 एकड़ भूमि जिसका मूल्य 1517.59 लाख रु. है, का हस्तांतरण विलेख लंबित है।

   घ) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या-26.2 (ग) से संदर्भित मुसाबनी में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (आई.सी.सी.) की 3 एकड़ जमीन का न ही कोई प्रतिफल दिया है और न ही इसके उपयोग का प्रावधान लेखे में किया है।

ङ) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या 26.3 (घ) से संबंधित उत्पादन प्रक्रिया के अस्थायीकरण की वजह से वर्ष के दौरान तुम्मलापल्ली परियोजना के 1578.31 करोड़ रुपये की विचाराधीन पूंजीकरण (तुम्मलापल्ली प्लांट से भेजे गए U_3O_8 के प्रेषण के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त 49.62 करोड़ रुपये के निर्धारण के पश्चात)।

च) कंपनी भारत सरकार को बंद तुरामडीह परियोजना की संपत्ति की उस सीमा तक के लिए 111.60 लाख रुपये का शेयर जारी नहीं की है, जैसा कि भारत सरकार ने जून, 2003 में निर्देश दिया था।

विचार

7. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं विवरण के अनुसार उक्त लेखा, उसके साथ दी गई कंपनी अधिनियम के द्वारा मांगी गई सूचनाओं को अपेक्षित रूप में उपलब्ध कराता है तथा भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा नीतियों के अनुसार एक सच्चा एवं स्पष्ट विचार प्रस्तुत करता है-

क) जहाँ तक तुलन-पत्र का सम्बंध है, वह 31 मार्च, 2014 तक कम्पनी के मामलों से सम्बंधित है।

ख) जहाँ तक लाभ-हानि लेखा के सम्बंध में है, वह कम्पनी के लाभ इसी तारीख तक का है।

ग) जहाँ तक कैश फ्लो विवरण के सम्बंध में है वह भी कम्पनी के इसी तारीख तक का है।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

8. जैसा कि अधिनियम की धारा 227 की उप-धारा (4ए) के सम्बंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी (अंकेक्षण रिपोर्ट) आदेश, 2003 ("आदेश") द्वारा मांगा गया, हम परिशिष्ट में आदेश के पैरा 4 तथा 5 में वर्णित मामले पर बयान देते हैं ।

9. जैसा कि " अधिनियम" की धारा 227(3) द्वारा अपेक्षित है, हम प्रतिवेदन देते हैं कि :

क) हमें वे सारी सूचनाएँ एवं व्याख्याएं उपलब्ध कराई गई हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे परीक्षणके लिए जरूरी थे।

ख) हमारी राय में कम्पनी द्वारा कानून के अनुसार उचित लेखा खाते रखे गये हैं जैसा कि हमें इन खातों की जाँच के दौरान देखने को मिला।

ग) तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा तथा कैश फ्लो विवरण जिसका इस टिप्पणी में समावेश है लेखा-खाता के अनुसार है।

घ) हमारी राय में कम्पनी की तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा तथा कैश फ्लो विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचित एकाउन्टिंग स्टैंडर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संदर्भ में कॉरपोरेट मंत्रालय के जनरल परिपत्र 15/2013 दिनांक 13 सितम्बर 2013 के साथ पठित के अनुसरण में है।

ङ.) केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 829 (ई) दिनांक 21.10.2003 के अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274(1)(जी) एवं विवरण के प्रावधान सरकारी कम्पनियों पर लागू नहीं होता है।

कृते **तोड़ी तुलस्यान एण्ड क.**
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.सं. 002180सी

(सी.ए.सुशील कुमार तुलस्यान)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 075899

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 26.08.2014

लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट का अनुलग्नक

(31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को कम्पनी के लेखा पर हमारे सम दिनांक प्रतिवेदन के परिच्छेद 8 के अन्तर्गत लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक)

I. (क) कम्पनी निश्चित परिसम्पत्तियों का विवरण इलेक्ट्रोनिक रूप में चालू वर्ष में रख रही है।

(ख) कम्पनी की अपनी सभी परिसम्पत्तियों की प्रत्यक्ष जाँच कराने का कार्यक्रम है जो हमारी राय तथा कम्पनी के आकार एवं सम्पत्तियों की प्रकृति के अनुसार न्यायसंगत है। परिसम्पत्तियों की जाँच में कोई भिन्नता नहीं पाई गई।

(ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने अचल परिसम्पत्तियों के किसी भी भाग को नहीं हटाया है। जिससे कम्पनी की चालू संस्थान की स्थिति प्रभावित नहीं होती है।

II. (क) जैसा कि हमें बताया गया, सभी सम्पत्तियों की प्रत्यक्ष जाँच वर्ष के दौरान स्वतंत्र पेशेवरों से उचित अन्तराल पर की गई।

(ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं विवरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा अपनाई गई वस्तुओं के जाँच की विधि कम्पनी के व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुसार न्यायसंगत एवं पर्याप्त है। हालाँकि नये स्थान पर शुरू की गई परियोजना विशेष रूप से तुलापल्ली में ज्यादा विस्तार एवं लगातार जाँच की जरूरत है।

(ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं के अनुसार कम्पनी द्वारा अपनी सम्पत्तियों का अभिलेख उचित ढंग से रखा जा रहा है। प्रत्यक्ष जाँच के दौरान पाई गई भिन्नता को लेखा बही में उचित रूप में ठीक कर लिया गया है।

III. हमें दी गई व्याख्याओं एवं सूचनाओं के अनुसार कम्पनी ने वैसे किसी कम्पनी फर्म या तीसरी पार्टी को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है अथवा उनसे लिया है जिनका नाम कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज हैं। तद्नुसार, कम्पनी (लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट) आदेश 2003 (यथा संशोधित) के पैराग्राफ (3) (ख)(ग)(घ)(ड.)एवं (च) लागू नहीं होते।

IV. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी को भण्डार, संयंत्र एवं मशीनरी, उपकरण तथा अन्य सम्पत्तियों के क्रय तथा सामानों की बिक्री के सम्बंध में आन्तरिक नियंत्रण पद्धति पर्याप्त है जो इस कम्पनी के आकार एवं व्यापार की प्रकृति के अनुकूल है। अपने अंकेक्षण के दौरान हमने आन्तरिक नियंत्रण की व्यवस्था में कोई बड़ी कमजोरी नहीं देखी। हालाँकि वर्क कान्ट्रेक्ट के क्षेत्र में आंतरिक नियंत्रण को पुन: विचार की जरूरत है।

V हमें दी गई व्याख्याओं एवं सूचनाओं के अनुसार इस वर्ष में कोई लेनदेन नहीं हुआ जो अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज किया जा सके।

VI कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों की उप धारा 58ए तथा 58एए के अन्तर्गत तथा आर.बी.आई. द्वारा जारी किये गए निर्देशों के अनुसार कम्पनी ने सामान्य जन से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

VII कम्पनी का अपना आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग है। कम्पनी का आन्तरिक लेखा परीक्षण इसके आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। पिछले वर्ष तक आंतरिक लेखा परीक्षण विभिन्न इकाईयों के सनदी लेखाकार फर्म के द्वारा किए जाते थे लेकिन वर्ष के दौरान किसी बाहरी फर्म को आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं किया गया है। हमारी राय में कम्पनी के आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को सशक्त करने की जरूरत है एवं लम्बे समय से बकाया राशियों को

शामिल कर विस्तारीकरण, पुनर्मिलान एवं उसका समायोजन करने की आवश्यकता है।

VIII. केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (डी) के अन्तर्गत कम्पनी को अपने उत्पादों का लागत अभिलेख रखने के लिए विनिहित किया है। हमने व्यापक रूप से उपर्युक्त अभिलेखों का परीक्षण किया तथा हम अपना मत व्यक्त करते हैं कि निर्धारित अभिलेख एवं लेखा सुव्यवस्थित रूप से रखे जाते हैं।

IX. (क) हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार तथा हमारे द्वारा लेखा बहियों का परीक्षण करने के उपरांत यह पाया गया कि कम्पनी द्वारा कानूनी बकाया जिसमें भविष्य निधि, आयकर, बिक्रीकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क सम्बंधित पदाधिकारी के पास जमा कराया जाता है। हमें बताया गया कि कर्मचारी राज्य बीमा इस कम्पनी में प्रयोज्य नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचनाओं एंव व्याख्याओं के अनुसार वह बकाया राशि जो विवाद के कारण जमा नहीं की गयी वह इस प्रकार है :

कानून की प्रकृति	बकाया की प्रकृति	राशि (रु.)	वह मंच जहाँ विवाद विचाराधीन है	वर्ष
बिक्री कर अधिनियम	वाणिज्यिक कर	0.91	अपीलीय प्राधिकारी	1997-98 तथा 1998-99
बिक्री कर अधिनियम	वाणिज्यिक कर	392.19	अपीलीय प्राधिकारी	2002-03 से 2005-06
बिक्री कर अधिनियम	वाणिज्यिक कर	3.86	अपीलीय प्राधिकारी	2009-10
आय कर अधिनियम	आय कर	501.98	अपीलीय न्यायाधिकरण	2005-06, 2007-08, 2008-09

X. वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी में कोई जमा हानि नहीं है। चालू एवं तुरंत समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं हुई है।

XI. चालू वर्ष में कम्पनी ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक को ऋण वापसी में कोई चूक नहीं की है और कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋणपत्र जारी नही किया है।

XII हमारे रिकार्डों की जाँच के आधार पर एवं हमें दी गई सूचना एवं व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान न तो कोई ऋण और न पेशगी का अनुमोदन किया है चाहे वह शेयर की सुरक्षा के आधार हो अथवा डिबेंचर या प्रतिभूति के आधार पर।

XIII हमारी राय में कम्पनी चिटफंड, निधि/मुच्युअल बेनिफिट फंड/सोसाइटी नहीं है। इसलिए कम्पनी (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश के प्रावधान की धारा 4(xiii) 2003 (यथासंशोधित) कम्पनी के ऊपर लागू नहीं है।

XIV हमें दी गई सूचनाओं एंव व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी शेयर, सिक्युरिटी, डिबेंचर तथा अन्य निवेशों का व्यापार नहीं करती।

XV हमें दी गई सूचनाओं एंव व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी दूसरे के द्वारा लिये गए ऋण पर कोई गारंटी नहीं दी है चाहे वह बैंक से ली गई हो या अन्य वित्तीय संस्थानों से।

XVI हमें दी गई सूचनाओं एंव व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने चालू वर्ष में कोई मियादी ऋण नहीं लिया है।

XVII हमें दी गई सूचनाओं एंव व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने अल्प अवधि के लिए कोई निधि नहीं बनायी है है जिसे लम्बी अवधि के लिए विनियोग किया गया हो। तथापि प्रक्रियाधीन

पूंजी सहित गैर चालू परिसंपत्ति, अंशधारकों की निधि तथा गैर चालू दायित्वों से अधिक है।

XVIII हमें दी गई सूचनाओं एंव व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने वर्तमान वर्ष में किसी कम्पनी/पार्टी को शेयर का प्रिफरेंसियल अलॉटमेंट नहीं किया है जिनका नाम कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखी जाने वाली रजिस्टर में दर्ज होती है।

XIX हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार लेखा परीक्षक प्रतिवेदन अवधि के दौरान कम्पनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

XX वर्ष के दौरान कम्पनी ने पब्लिक इश्यू के द्वारा कोई राशि एकत्रित नहीं की है।

XXI कम्पनी बुक एवं रिकार्डों के परीक्षण के दौरान, भारत में प्रचलित लेखा परीक्षण के अनुसरण में लेखा परीक्षा किया गया है और हमारी जानकारी में तथा हमारे विश्वास एवं हमें दी गई सूचनाओं एंव व्याख्याओं के अनुसार वर्तमान वर्ष में कम्पनी द्वारा/कम्पनी पर किसी प्रकार का धोखा न तो देखा गया या रिपोर्ट किया गया, न ही प्रबन्धन द्वारा हमें इस प्रकार की कोई सूचना दी गई है।

कृते **तोड़ी तुलस्यान एण्ड क.**
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.सं. 002180सी

(सी.ए. सुशील कुमार तुलस्यान)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 075899

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 26.08.2014

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के लेखे पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बनाये गए वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसरण में 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करना कम्पनी प्रबंधन का दायित्व है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत वित्तीय विवरण के बारे में भारतीय सनदी लेखापाल संरक्षण के व्यावसायिक संस्थान के निर्धारित मानक के तहत निष्पक्ष रूप से लेखा परीक्षा करने का हमारा दायित्व है यह उनके लेखा प्रतिवेदन दिनांक 26-08-2014 के द्वारा किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने 31मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड का अनुपूरक लेखा परीक्षा, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) (ख) के अन्तर्गत किया है। अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा कार्यरत कागजातों को देखे बिना एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कम्पनी के प्रतिवेदनों द्वारा प्रारम्भिक पूछताछ एवं कुछ चुने गये कागजातों एवं लेखा रिकार्डों के आधार पर किया गया है।

मेरे द्वारा पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) सांविधिक लेखा परीक्षकों के संबंध में किसी प्रकार की ऐसी विशेष बात मेरी जानकारी में नहीं आई है जिस पर कोई टिप्पणी की जा सके।

कृते एवं ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

ह./-

सुपर्णा देब
मुख्य निदेशक
मुख्य वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-IV

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.09.2014

31 मार्च, 2014 की स्थिति का तुलन-पत्र

(लाख रुपयों में)

		टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
I.	**इक्विटी एवं देयताएँ**			
	1. अंशधारियों की निधियां			
	(क) अंश पूँजी	1	**146,961.78**	143,961.78
	(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	2	**36,516.29**	35,697.21
	3. लंबित शेयर एप्लीकेशन का आवंटन		**1,000.00**	-
	2. गैर चालू देयताएँ			
	(क) आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)	3	**7,445.39**	8,048.03
	(ख) अन्य दीर्घकालिक देयताएँ	4	**922.21**	967.98
	(ग) दीर्घकालिक प्रावधान	5	**3,604.54**	2,983.60
	3. चालू देयताएँ			
	(क) अल्पकालीन उधार ग्रहण	6	**59,517.06**	47,834.93
	(ख) व्यापार देय	7	**4,152.92**	3,860.79
	(ग) अन्य चालू देयताएँ	8	**28,974.15**	26,268.68
	(घ) अल्पकालीन प्रावधान	9	**2,675.15**	8,673.77
	कुल		**291,769.49**	278,296.77
II	**परिसम्पत्तियाँ**			
	1. गैर चालू परिसम्पत्तियाँ			
	(क) स्थिर परिसम्पत्तियाँ			
	(i) प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ	10क	**75,679.84**	79,828.12
	(ii) अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ	10ख	**1,059.37**	1,112.11
	(iii) प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य	11	**174,229.67**	145,681.36
	(ख) दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	12	**4,380.01**	5,394.34
			255,348.89	23,2015.93
	2. चालू परिसम्पत्तियाँ			
	(क) माल सूची	13	**6,315.55**	8,119.25
	(ख) प्राप्तियोग्य व्यापार	14	**8,883.16**	8,958.53
	(ग) नकद एवं बैंक जमा	15	**12,087.91**	20,141.03
	(घ) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	16	**8,557.05**	8,128.94
	(ड.) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	17	**576.93**	933.09
			36,420.60	46,280.84
	कुल		**291,769.49**	278,296.77
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ		25		
लेखे पर की टिप्पणियाँ		26		

उपरोक्त उल्लिखित टिप्पणियाँ लेखे का एक अभिन्न अंग है ।

यह हमारे संलग्नक सम दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित है ।

कृते **तोड़ी तुलस्यान एण्ड क.**
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.सं. 002180सी

(सुशील कुमार तुलस्यान)	**जी. के. चटर्जी**	**बी. सी. गुप्ता**	**एस. के. श्रीवास्तव**	**डी. आचार्य**
भागीदार	महाप्रबंधक (वित्त)	कम्पनी सचिव	निदेशक (तकनीकी)	अध्यक्ष एवं
सदस्यता संख्या : 075899				प्रबंध निदेशक
स्थान : कोलकाता				
दिनांक : 26.08.2014				

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का लेखा

(लाख रुपयों में)

		टिप्पणी संख्या	2013-14	2012-13
I	**प्रचालन से प्राप्त राजस्व**	18	**79,423.20**	82,656.00
II	**अन्य आय**	19	**2,006.58**	2,856.28
III	**कुल राजस्व (I+II)**		**81,429.78**	85,512.28
IV	**व्यय**			
	उपभुक्त सामग्री की लागत	20	**6,411.82**	6,347.12
	तैयार माल एवं प्रगतिधीन कार्य के सम्पत्तिसूची में परिवर्तन	21	**1,482.71**	53.67
	कर्मचारियों के लाभ हेतु व्यय	22	**24,805.99**	21,988.32
	वित्तीय लागत (ब्याज पर व्यय)		**4,730.88**	2,803.87
	मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय	10क तथा 10ख	**7,793.44**	7,795.47
	अन्य व्यय	23	**34,459.57**	32,124.15
	कुल व्यय (iv)		**79,684.41**	71,112.60
V	**अपवाद एवं असामान्य मदों एवं कर के पूर्व लाभ**		**1,745.37**	14,399.68
VI	**असामान्य मदें**			
	जोड़ा : पूर्वकालिक समायोजन	24	**(112.60)**	17.30
VII	**कर पूर्व लाभ (V+VI)**		**1,632.77**	14,416.98
VIII	**कर पर व्यय**			
	चालू कर		**1,041.98**	4,930.05
	पूर्व वर्ष के लिए		**123.97**	65.68
	आस्थगित कर		**(602.63)**	342.51
IX	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**1,069.45**	9,078.74
X	**प्रति साम्यिक शेयर आय**			
	(1) बेसिक (रू.)		**7.42**	63.06
	(2) डायल्यूटेड (रू.)		**7.36**	62.58
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ		25		
लेखे पर की टिप्पणियाँ		26		

उपरोक्त उल्लिखित टिप्पणियाँ लेखे का एक अभिन्न अंग है ।

यह हमारे संलग्नक सम दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित है ।
कृते **तोड़ी तुलस्यान एण्ड क.**
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.सं. 002180सी
(सुशील कुमार तुलस्यान)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 075899
स्थान : कोलकाता
दिनांक : 26.08.2014

जी. के. चटर्जी
महाप्रबंधक (वित्त)

बी. सी. गुप्ता
कम्पनी सचिव

एस. के. श्रीवास्तव
निदेशक (तकनीकी)

डी. आचार्य
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक

टिप्पणी-1

अंश पूँजी

(लाख रुपयों में)

	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत पूँजी		
प्रत्येक 1,000 रुपये के 2,50,00,000 साम्यिक अंश (गत वर्ष 2,50,00,000)	**250,000.00**	250,000.00
निर्गमित अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी		
क) प्रत्येक 1,000 रुपये के 1,00,000 (गत वर्ष 1,00,000) साम्यिक अंश जिसका भुगतान 581/- रुपये तक नगद से भिन्न रूप में तथा 419/- रुपये नगद मूल्य लेकर किया गया ।	**1,000.00**	1,000.00
ख) प्रत्येक 1,000 रुपये के 1,853/- (विगत वर्ष 1853/-) साम्यिक अंश का आबंटन से भिन्न प्रतिदाय के लिये पूर्ण प्रदत्त में किया गया ।	**18.53**	18.53
ग) प्रत्येक 1,000 रुपये के 1,45,94,325/- (विगत वर्ष 1,42,94,325/-) साम्यिक अंश जिसका नगद भुगतान किया गया ।	**145,943.25**	142,943.25
कुल	**146,961.78**	143,961.78

1.1	**बकाया साम्यिक अंश के आंकड़ों का पुनर्मिलान**		
	वर्ष के आरम्भ में बकाया साम्यिक अंश	**14,396,178**	14,396,178
	वर्ष के दौरान आबंटित साम्यिक अंश	**300,000**	-
	वर्ष के अंत में बकाया साम्यिक अंश	**14,696,178**	14,396,178
1.2	14696175 संख्या में साम्यिक अंश भारत के राष्ट्रपति के नाम है।		

टिप्पणी-2

आरक्षित एवं अधिशेष निधि

(लाख रुपयों में)

		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
I	**आरक्षित निधि**		
	विगत वित्तीय विवरण के अनुसार अधिशेष	**2.11**	2.11
II	**निवेश भत्ता उपयोग आरक्षित निधि**		
	विगत वित्तीय विवरण के अनुसार अधिशेष	**190.71**	190.71
III	**सामान्य आरक्षित निधि**		
	विगत वित्तीय विवरण के अनुसार अधिशेष	**10,701.21**	8,886.21
	जोड़ा: लाभ एवं हानि खाते से स्थानान्तरण	**214.00**	1,815.00
		10,915.21	10,701.21
IV	**लाभ एवं हानि खाता**		
	विगत वित्तीय विवरण के अनुसार अधिशेष	**24,803.18**	19,662.90
	जोड़ा: लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार अधिशेष	**1,069.45**	9,078.74
	विनियोग पूर्व (1) अधिशेष	**25,872.63**	28,741.64
	विनियोजन		
	सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	**214.00**	1,815.00
	प्रस्तावित लाभांश	**214.00**	1,815.00
	प्रस्तावित लाभांश पर कर	**36.37**	308.46
	कुल विनियोजन (ii)	**464.37**	3,938.46
	विनियोजन (I-II) पश्चात् अधिशेष	**25,408.26**	24,803.18
	कुल (I से IV तक)	**36,516.29**	35,697.21

टिप्पणी-3

आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)

(लाख रुपयों में)

		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
क)	**आस्थगित कर देयताएँ**		
	अचल संपत्ति से सम्बंधित	**8,799.09**	9,120.04
ख)	**आस्थगित कर सम्पत्तियाँ**		
	1. अप्रयुक्त भण्डार के लिए प्रावधान	**87.95**	74.55
	2. छुट्टी वेतन के लिए प्रावधान	**1,043.45**	880.15
	3. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के तहत् क्षतिपूर्ति	**-**	1.69
	4. खान बंदी दायित्व के लिए प्रावधान	**57.12**	47.16
	5. राजस्व को प्रभारित पूर्वप्रदत्त व्यय	**2.35**	2.19
	6. सेवानिवृति पश्चात् चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान	**82.23**	66.27
	7. कर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का प्रावधान	**80.60**	-
		1,353.70	1,072.01
आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)		**7,445.39**	8,048.03

टिप्पणी-4

अन्य दीर्घकालिक देयताएँ

		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
1.	के.पी.एम. परियोजना के लिए सरकार से सहायक अनुदान	-	-
2.	गोगी परियोजना के लिए ए.एम.डी. से प्राप्त निधि	-	-
3.	ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं को देयताएँ	**922.21**	967.98
	कुल	**922.21**	967.98

टिप्पणी-5

दीर्घकालिक प्रावधान

(लाख रुपयों में)

		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
1.	कर्मचारियों के छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	**3,039.46**	2623.09
2.	सेवा निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान	**239.60**	221.77
3.	खान बंदी दायित्व के लिए प्रावधान	**168.04**	138.74
4.	कर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का प्रावधान	**157.44**	-
	कुल	**3,604.54**	**2983.60**

टिप्पणी-6

अल्प कालीन उधार ग्रहण

		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
क)	**प्रतिभूत**		
	1. बैंक से ऋण (स्थिर जमा के विरुद्ध अधिक निकासी)	**10,627.79**	18,569.27
ख)	**अप्रतिभूत**		
	1. बैंक से ऋण	**38,019.44**	19,256.23
	2. अन्य संस्थानों से ऋण	**10,869.83**	10,009.43
	कुल	**59,517.06**	47,834.93

6.1 अप्रतिभूत ऋण का विवरण

बैंकों/संस्थानों के नाम	ऋण के प्रकार	ऋण की सीमा	31.03.2014 तक बकाया ऋण
आईसीआईसीआई बैंक	नकद उधार	5,000.00	-
एसबीआई जादूगोड़ा	नकद उधार	50,000.00	**38,019.44**
न्यूक्लीयर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि0	ऋण	10,000.00	**10,869.83**
कुल			**48,889.27**

टिप्पणी-7

व्यापार देय

(लाख रुपयों में)

	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
1. फुटकर देनदारियाँ		
क) एस.एस.आई. अण्डरटेकिंग	**8.28**	4.53
ख) अन्य	**4,144.64**	3,856.26
कुल	**4,152.92**	3,860.79

7.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम संस्थाओं से सम्बंधित प्रकटीकरण

विवरण		
31 मार्च को बकाया मूलधन	**57.25**	90.16
31 मार्च को उस पर प्राप्य एवं अदत्त ब्याज	**3.75**	4.24
आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान किया गया ब्याज	**-**	7.47
वर्ष के दौरान आपूर्तिकर्त्ता को निर्धारित तिथि को भुगतान किया गया	**815.86**	1,527.92
विलंब अवधि के लिए प्राप्य एवं देय	**3.75**	4.24
31 मार्च को अदत्त उपचित एवं शेष ब्याज	**8.28**	4.53
बाद के वर्षों में शेष एवं देय ब्याज की राशि	**8.28**	4.53

7.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम संस्थाओं के बारे में प्रकटीकरण, संबंधित आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर किया गया है ।

टिप्पणी-8

अन्य चालू देयताएँ

(लाख रुपयों में)

		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
1.	बुक ओवरड्राफ्ट	-	160.69
2.	ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्त्ताओं को देयताएँ	**18,555.46**	17,753.10
3.	कर्मचारियों एवं ए.ई.सी.एस. को देयताएँ	**4,227.11**	2,196.61
4.	के.पी.एम. परियोजना के लिए सरकार से सहायक अनुदान	**1,086.53**	1,291.64
5.	ए.एम.डी. से गोगी परियोजना के लिए प्राप्त निधि	**1,668.28**	1,687.56
6.	सरकारी संस्थानों को देयताएँ	**2,773.26**	2,595.93
7.	कर एवं शुल्क के लिए देयताएँ	**485.73**	407.27
8.	अन्य व्यय हेतु देयताएँ	**177.78**	175.88
	कुल	**28,974.15**	26,268.68

9. वर्ष 1996 में कम्पनी ने बन्द तुरामडीह परियोजना की परिसम्पत्ति को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) को 2322 लाख रुपये की राशि का हस्तांतरण किया था। तुरामडीह खान के पुन: खुलने पर परिसम्पत्तियों को वापस ले लिया। सीआरपीएफ द्वारा लिये गये 3467 रुपये की राशि के कुल दावे के विरूद्ध 2500 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है और शेष 969 लाख रुपये अंतिम लंबित लेखा भुगतान में प्रावधित किया गया।

10. भारत सरकार का 1110.60 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1110.60 लाख रुपये) जो बन्द तुरामडीह परियोजना की जमीन एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ हैं, का इस्तेमाल कम्पनी कर रही है। भारत सरकार द्वारा सूचित मूल्य आधारित राशि 1110.60 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1110.60 लाख रुपये) का प्रावधान लेखे में किया गया है। भारत सरकार के पत्र संख्या 20/12 (1)/95-पीएसयू/180, दिनांक 18 जून 2003 द्वारा यथानिर्देशित परिसम्पत्तियों की सीमा तक कम्पनी द्वारा भारत सरकार को शेयर जारी किया जाएगा।

11. अनुसंधान गवेषण हेतु परमाणु खनन निदेशालय एवं यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड (यूसिल) के बीच कर्नाटक के गुलवर्ग जिले में गोगी परियोजना हेतु खनन गवेषण द्वारा संभावित प्रचालन कार्य करने के लिए 6.3.2007 को एक समझौता ज्ञापन हुआ, जिसके लिए निधि ए.एम.डी. द्वारा उपलब्ध कराया गया था। यूसिल एक एजेंट के लिए कार्य करेगा एवं मालिकाना ए.एम.डी. के पास रहेगा। ए.एम.डी. से प्राप्त धन का समायोजन किये गये कार्य के साथ जाता है और यदि कोई शेष राशि हो तो उसे देयता के रूप में लेखे खाते में दर्शाया जाता है।

12. क) मेघालय के केलेंग पेंडेंग सोहियोंग माउथावा खनन एवं मिलिंग परियोजना के ढाँचागत विकास हेतु भारत सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कुल 4000 लाख रुपये (पिछले वर्ष 4000 लाख रुपये) प्राप्त हुआ था। कुल 4000 लाख रुपये में से 2997.74 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2771.92 लाख रुपये) 31.3.2014 तक के.एच.ए.डी.सी. को दिया गया था।

ख) उपर्युक्त दर्शित शेष राशि जिसमें ब्याज सहित 92.86 लाख रुपये (पिछले वर्ष 63.56 लाख रुपये) उस पर अर्जित राशि है।

टिप्पणी-9

अल्प कालीन प्रावधान

(लाख रुपयों में)

		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार
1.	ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान	**944.55**	1,360.66
2.	छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	**217.48**	153.19
3.	सेवा निवृत्ति पश्चात् कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान	**5.22**	4.83
4.	कर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का प्रावधान	**107.84**	-
5.	बिक्री कर एवं उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान	**61.97**	61.97
6.	सी.आई.एस.एफ. को देने हेतु प्रावधान	**41.29**	34.54
7.	अन्य के लिए प्रावधान	**3.52**	3.50
8.	कर के लिए	**1,042.91**	4,931.62
9.	प्रस्तावित लाभांश	**214.00**	1,815.00
10.	प्रस्तावित लाभांश पर कर	**36.37**	308.46
	कुल	**2,675.15**	8,673.77

टिप्पणी-10 (क) एवं (ख)

स्थायी परिसम्पत्तियाँ

(लाख रुपयों में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास					शुद्ध ब्लॉक	
	01.04.2013 को	जोड़ा/ समायोजन	बिक्री/ समा-योजन	31.03.2014 को	01.04.2013 को	इस वर्ष के लिए	बिक्री/ समा-योजन	गत वर्ष के लिए	31.03.2014 तक कुल प्रावधान	31.03.2014 को	31.03.2013 को
(क) प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ											
लीज भूमि	680.56	-	-	**680.56**	408.39	24.96	-	-	433.35	**247.21**	272.17
स्वतंत्र भूमि	3617.23	-	-	**3617.23**	61.79	0.00	-	-	61.79	**3555.44**	3555.44
फैक्ट्री भवन	19656.64	733.44	-	**20390.08**	4737.36	593.82	-	0.53	5331.71	**15058.37**	14919.28
अन्य भवन	9863.18	69.07	419.78	**9512.47**	2550.44	183.46	419.78	-	2314.12	**7198.35**	7312.74
संयंत्र एवं मशीनरी	80294.51	2309.79	-	**82604.30**	47678.20	5566.23	-	-	53244.43	**29359.87**	32616.31
विद्युत प्रतिस्थापन	15056.19	394.00	-	**15450.19**	4634.01	710.54	-	-	5344.55	**10105.64**	10422.18
ओपेनकास्ट खान	12235.28	0.00	-	**12235.28**	2600.00	611.76	-	-	3211.76	**9023.52**	9635.28
फर्नीचर एवं साज सामान	640.46	15.57	-	**656.03**	371.18	31.55	-	-	402.73	**253.30**	269.28
उपकरण	990.14	57.26	-	**1047.40**	529.52	43.99	-	-	573.51	**473.89**	460.62
वाहन	925.26	99.88	-	**1025.14**	560.43	60.46	-	-	620.89	**404.25**	364.83
कुल	**143959.45**	**3679.01**	**419.78**	**147218.68**	**64131.32**	**7826.77**	**419.78**	**0.53**	**71538.84**	**75679.84**	**79828.13**
(ख) अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ (वन भूमि में उपयोग के लिए)	1398.47	-		**1398.47**	286.35	52.75			339.10	**1059.37**	1112.12
योग	**11398.47**			**1398.47**	**286.35**	**52.75**	-	-	**339.10**	**1059.37**	1112.12
कुल योग	**145357.92**	**3679.01**	**419.78**	**148617.15**	**64417.67**	**7879.52**	**419.78**	**0.53**	**71877.94**	**76739.21**	**80940.26**
गत वर्ष	135089.50	10268.41	-	145357.91	56445.62	7972.06	-	-	64417.68	80940.23	78643.88

टिप्पणी : 1. वर्ष के लिए रुपये 7879.52 लाख (गत वर्ष रुपये 7972.06 लाख) मूल्यह्रासित करआबंटित किया गया :

क) लाभ हानि खाता में रु. 7793.44 (गत वर्ष 7795.47 लाख)

ख) परियोजना पर अप्रत्यक्ष खर्च रुपये 86.08 लाख (गत वर्ष रुपये 176.59 लाख)

2. रु.5000/- एवं उससे कम लागत की अचल परिसम्पत्ति रुपये 37.03 लाख (गत वर्ष रुपये 18.34 लाख) को इस वर्ष पूर्ण रूप से मूल्यह्रासित किया गया ।

3. अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ 553.24 एकड़ (गत वर्ष 553.24 एकड़) 1398.47 लाख रुपये (गत वर्ष रुपये 1398.47 लाख) की वन भूमि भी शामिल है जो झारखण्ड सरकार से विशिष्ट उपयोग के लिए प्राप्त किया गया है और उसका स्वामित्व झारखण्ड सरकार के पास है ।

4. तुरामडीह माइन्स में सी.आर.पी.एफ. से लिये गए आवासीय भवन को कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची में निर्धारित 1.63% के विरूद्ध 2.23% की दर से मूल्य हासिल किया गया।

टिप्पणी-11

प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य

(लाख रुपयों में)

			31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
संचालित इकाईयाँ				
1.	जादुगोड़ा खान तथा संयंत्र		**19.07**	62.62
2.	नरवापहाड़ खान		**0.60**	8.70
3.	तुरामडीह खान परियोजना		**1,079.94**	1,075.95
4.	बागजाता खान परियोजना		**4,451.68**	4,073.29
5.	तुरामडीह मिल परियोजना		**89.39**	140.36
6.	बांदुहुरांग खान		**91.00**	62.50
7.	माहुलडीह खान		**429.64**	513.69
चालू परियोजनाएँ				
8.	तुमल्लापल्ली परियोजना		**157,831.29**	131,932.76
9.	तुरामडीह खान विस्तारण परियोजना		**1,321.81**	1,176.76
10.	तुरामडीह संयंत्र विस्तारण परियोजना		**4,547.87**	4,424.59
11.	तुरामडीह मैग्नेटाइट प्लांट परियोजना		**1.95**	-
12.	तुरामडीह पैरॉक्साइड प्लांट परियोजना		**34.87**	-
13.	जादुगोड़ा में चतुर्थ चरण टेलिंग पॉण्ड परियोजना		**134.51**	-
14.	**परियोजना पूर्व के खर्चे**			
क)	लाम्बापुर परियोजना	705.81		698.17
ख)	के.पी.एम. परियोजना	775.33		732.31
ग)	तुमल्लापल्ली विस्तारण परियोजना	67.82		64.96
घ)	गोगी परियोजना	104.89		104.89
ङ)	भाटिन खान आधुनिकीकरण परियोजना	746.12		-
च)	रोहिल परियोजना	5.33		-
			2,405.30	
15.	स्टॉक में पूँजीगत सम्पत्ति जिसका प्रतिस्थापन/उपयोग अभी किया जाना बाकी है मार्गस्थ सहित जिसमें रु.25.92लाख (गत वर्ष रु.32.21 लाख)		**1,790.75**	609.81
	योग		**174,229.67**	145,681.36

16. चालू परियोजनाओं एवं परियोजना पूर्व की स्थिति लेखे की अतिरिक्त टिप्पणी (टिप्पणी- 26) की क्रम संख्या 26.3 में वर्णित की गई है।

टिप्पणी-12

दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम

(लाख रुपयों में)

		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
1.	**अग्रिम पूँजी**		
	i) प्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई	**1,471.02**	2,958.38
	ii) अप्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई	**849.77**	849.77
	कुल (1)	**2,320.79**	3,808.15
2.	**प्रतिभूत जमा**		
	i) प्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई	-	-
	ii) अप्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई	**478.52**	279.95
	कुल (2)	**478.52**	279.95
3.	**अन्य ऋण एवं अग्रिम**		
	i) प्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई कर्मचारियों को दिया गया गृह निर्माण अग्रिम	**1,239.89**	1,252.53
	ठेके के कार्य के लिए अग्रिम	**288.56**	-
	ii) अप्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम	**52.25**	53.71
	कुल (3)	**1,580.70**	1,306.24
	कुल (1+2+3)	**4,380.01**	5,394.34

4.	**निदेशकों से बकाया ऋण एवं अग्रिम का विवरण**	**2013-14**	**2012-13**
	क) वर्ष के अंत में बकाये की राशि	**शून्य**	शून्य
	ख) फर्म अथवा प्राइवेट कम्पनी से बकाया अग्रिम जिसका कंपनी का कोई निदेशक उसका निदेशक या सदस्य है राशि रु. - शून्य (गत वर्ष- शून्य)	**शून्य**	शून्य

टिप्पणी-13

माल सूची

(लाख रुपयों में)

			31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
1.	**माल सूची**			
	(जैसा कि प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित किये गये मूल्यांकन के अनुसार लिया गया है)			
	अ) **प्रत्यक्ष सामग्रियाँ**		**325.89**	391.42
	ब) **भण्डार एवं कलपूर्जे**			
	i) भण्डार एवं कलपूर्जे	**2,692.01**		2,806.68
	ii) मार्गस्थ भण्डार	**389.48**		490.84
		3,081.49		3,297.52
	घटाया : अप्रयुक्त भण्डार के लिए प्रावधान	**258.76**		219.33
			2,822.73	3,078.19
	स) **व्यापाराधीन स्टॉक**			
	i) अयस्क	**1,471.83**		2,838.06
	ii) प्रक्रियाधीन कार्य	**1,558.51**		1,496.79
	iii) उपोत्पाद	**8.83**		16.91
	घटाया : प्रावधान (उपोत्पाद)	**3.25**		3.25
		5.58		13.66
	iv) रद्दी माल	**131.01**		301.13
			3,166.93	
	योग (अ+ब+स)		**6,315.55**	8,119.25

टिप्पणी-14

व्यापार प्राप्तियाँ

			31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
1.	छ: महीने से अधिक			
	i) वसूली योग्य समझा गया	-		-
	ii) संदेहास्पद समझा गया	-		-
		-		-
2.	अन्य ऋण (वसूली योग्य)	8,883.16	**8,883.16**	8,958.53
	कुल		**8,883.16**	8,958.53

14.1 कंपनी के किसी निदेशक अथवा अन्य अधिकारी द्वारा कर्ज देय है, चाहे अलग अथवा संयुक्त रूप में किसी व्यक्ति अथवा किसी फर्म या प्राईवेट कंपनी जिसमें कोई निदेशक पार्टनर है अथवा निदेशक अथवा सदस्य- शून्य (गत वर्ष- शून्य)।

टिप्पणी-15

नकद एवं बैंक में जमा शेष

(लाख रुपयों में)

		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
क)	**नकदी एवं नकदी तुल्य**		
1.	नकद जो पास है (अग्रदाय राशि एवं टिकट सहित) जैसा कि प्रमाणित किया गया है ।	**10.44**	24.26
2.	बैंक में जमा शेष		
क)	चालू खाता	**365.22**	141.44
ख)	3 माह की परिपक्वता वाली जमा राशि (बिना ग्रहणाधिकार)		6.00
	उप योग (क) कैश फ्लो विवरण के अनुसार नकद एवं नकदी तुल्य	**375.66**	171.70
ख)	**अन्य बैंक अधिशेष***		
ग)	3 माह से अधिक की परिपक्वता वाली जमा राशि		
i)	ग्रहणाधिकार के अन्तर्गत जमा (ओ डी तथा एल सी)	**11,538.42**	19,715.64
ii)	ग्रहणाधिकार के बिना जमा	**173.83**	253.69
	उप योग (ख)	**11,712.25**	19,969.33
	कुल (क+ख)	**12,087.91**	20,141.03

* 154.03 लाख रुपये का बैंक जमा सहित, जिसकी परिपक्वता 12 महीने की है।

टिप्पणी-16

अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम

			31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
क)	**प्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई**			
	कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम		**163.31**	156.76
ख)	**अप्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई**			
	क) कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम		**454.86**	262.39
	ख) आपूर्तिकर्त्ताओं को दिया गया अग्रिम			
	i) वसूली योग्य समझा गया	**594.67**		1,338.71
	ii) संदेहास्पद समझा गया	**-**		2.33
		594.67		1,341.04
	घटाया : संदेहास्पद पेशगियों का प्रावधान किया गया	**-**		2.33
			594.67	1,338.71
	ग) ठेकेदारों, सरकारी विभागों इत्यादि को दिया गया अग्रिम		**2,298.58**	1,008.92
	घ) कर की अग्रिम राशि		**4,050.17**	4,316.23
	ड.) अन्य प्राप्तियाँ			
	i) वसूली योग्य समझा गया	**870.30**		990.78
	ii) संदेहास्पद समझा गया	**-**		-
		870.30		990.78
	घटाया : संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	**-**		-
			870.30	990.78
	च) कर्मचारियों से वसूली योग्य अन्य राशियाँ		**77.65**	40.13
	छ) पूर्व-प्रदत्त व्यय		**47.51**	15.02
	योग		**8,557.05**	8,128.94

16.1 2007-08 में झारखंड सरकार के जिला खनन पदाधिकारी के पास 165.63 लाख रुपये का मैग्नेटाइट डिपॉजिट पर लेखे का राजस्व जिसमें ठेकेदार, सरकारी विभाग सहित अग्रिम है विरोध के तहत जमा किया है, जिसके विरुद्ध विवाद न्यायालय में विचाराधीन है।

16.2 निदेशकों से ऋण एवं अग्रिम का विवरण	**31 मार्च, 2014**	31 मार्च, 2013
क) वर्ष के अन्त में बकाये की राशि	**शून्य**	शून्य
ख) फर्म अथवा प्राइवेट कंपनी से बकाया अग्रिम जिसका कंपनी का कोई निदेशक सदस्य या निदेशक है	**शून्य**	शून्य

टिप्पणी-17

अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ

(लाख रुपयों में)

	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
उपचित ब्याज		
1. बैंकों से	**477.50**	863.75
2. कर्मचारियों से	**98.66**	68.57
3. अन्य से	**0.77**	0.77
कुल	**576.93**	933.09

टिप्पणी-18

प्रचालन से प्राप्त राजस्व

		2013-14	2012-13
1.	भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अनिवार्य रुप से अधिग्रहण किये गये यूरेनियम सांद्रों की क्षतिपूर्ति	**83,367.17**	83,205.77
	घटाया - तुम्मलापल्ली परियोजना से संबंधित राशि आई.ई.डी.सी. को हस्तांतरित	**4,962.25**	1,114.97
		78,404.92	82,090.80
2.	उपोत्पाद की बिक्री	**1,125.01**	625.65
	उप योग	**79,529.93**	82,716.45
	घटाया : उपोत्पाद पर उत्पाद शुल्क	**106.73**	60.45
	टर्नओवर (शुद्ध)	**79,423.20**	82,656.00

3. वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए मुवावजे की दर में संशोधन के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसे उपयुक्त प्राधिकारी के पास प्रस्तुत किया गया है। हालांकि, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा यूरेनियम सांद्र के क्षतिपूर्ति की लंबित अंतिम दर, वर्ष 2010-11 के लिए प्रयोज्य दर जो कि वास्तव में 2013-14 के दौरान यूरेनियम सांद्र के प्रेषण के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त किया गया था, को प्रचालन से राजस्व निर्धारण के लिए माना गया। किसी प्रकार के अंतर की गणना, जिस वर्ष दर का निर्धारण फाइनल होगा उसी वर्ष में की जाएगी।

टिप्पणी-19

अन्य प्राप्तियाँ

(लाख रुपयों में)

		2013-14	2012-13
क)	**ब्याज**		
1.	बैंकों में जमा पर ब्याज	**1,299.39**	1,913.24
2.	अन्य	**93.45**	92.85
	उप योग (क)	**1,392.84**	2,006.09
ख)	**अन्य अप्रचालन से प्राप्तियाँ**		
1.	अवशिष्ट सामग्रियों की बिक्री से प्राप्त राशि	**252.17**	363.47
2.	उपकरणों तथा वाहनों का किराया	**2.76**	4.32
3.	आपूर्तिकर्त्ताओं से पैकिंग सुधार भाड़ा एवं दण्ड आदि की वसूली	**45.99**	41.13
4.	निविदा प्रपत्रों की बिक्री	**12.21**	16.61
5.	देयताएँ एवं प्रावधान जिसकी आवश्यकता नहीं रही	**3.47**	156.92
6.	आवासीय प्राप्तियाँ	**223.47**	238.95
7.	विविध	**73.67**	28.79
	उप योग (ख)	**613.74**	850.19
	कुल योग (क+ख)	**2,006.58**	2,856.28

टिप्पणी-20

उपभुक्त सामग्रियों का मूल्य

		2013-14	2012-13
1.	उपभुक्त कच्चे माल	**6,411.82**	6,347.12
	कुल	**6,411.82**	6,347.12

टिप्पणी-21

तैयार सामग्रियों तथा प्रगतिधीन कार्य की सम्पत्ति सूची में परिवर्तन

(लाख रुपयों में)

	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
प्रारम्भिक शेष		
अयस्क	**2,838.06**	3,041.38
उपोत्पाद	**16.91**	18.32
प्रक्रियाधीन कार्य	**1,496.79**	1,289.03
स्क्रैप	**301.13**	246.42
	4,652.89	4,595.15
जोड़ा :- महुलडीह खान परियोजना शुरू होने पर अयस्क का भंडार	**-**	111.41
	4,652.89	4,706.56
अंतिम शेष		
अयस्क	**1,471.83**	2,838.06
उपोत्पाद	**8.83**	16.91
प्रक्रियाधीन कार्य	**1,558.51**	1,496.79
स्क्रैप	**131.01**	301.13
	3,170.18	4,652.89
भण्डार में पूर्ण वृद्धि/(कमी)	**1,482.71**	53.67

टिप्पणी-22

कर्मचारियों के लाभ पर व्यय

		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
1.	वेतन, मजदूरी एवं भत्ते छुट्टी नकदीकरण सहित	**20,352.19**	17,634.05
2.	भविष्य निधि में अंशदान	**1,681.79**	1,576.12
3.	उपदान निधि में अंशदान	**1,201.66**	1,684.64
4.	कल्याण निधि में अंशदान	**0.99**	1.01
5.	सेवानिवृत्ति कोष में अंशदान	**79.01**	69.06
6.	छुट्टी यात्रा रियायत पर व्यय	**327.14**	80.98
7.	कर्मचारियों के कल्याणार्थ व्यय	**353.78**	284.26
8.	चिकित्सा व्यय	**809.43**	658.20
	योग	**24,805.99**	21,988.32

9. वेतन तथा मजदूरी सहित अन्य लाभ रुपये 287.07 लाख (गत वर्ष रुपये 235.80 लाख) में जल की लागत से सम्बंधित वेतन एवं मजदूरी तथा अन्य लाभ में सम्मिलित नही है ।

टिप्पणी-23

अन्य व्यय

(लाख रुपयों में)

			2013-14	2012-13
1.	भण्डार एवं कलपुर्जों का उपभोग		**6,694.42**	6,534.84
2.	बिजली एवं इंधन		**7,733.01**	7,224.82
3.	मरम्मत एवं अनुरक्षण			
	क) भवन	**480.04**		522.12
	ख) मशीनरी एवं वाहन	**9,358.06**		8,135.01
	ग) अन्य	**3,013.56**	**12,851.66**	3,167.56
4.	बीमा		**9.44**	23.08
5.	दरें एवं कर, आय पर कर छोड़कर		**20.28**	49.11
6.	जल		**675.95**	594.90
7.	स्वामित्व शुल्क		**1,655.81**	1,690.72
8.	परिवहन व्यय		**678.31**	585.95
9.	सुरक्षा पर व्यय		**1,830.62**	1,488.83
10.	नगरक्षेत्र एवं सामाजिक सुविधाओं पर व्यय		**137.61**	108.67
11.	यात्रा व्यय		**111.67**	114.23
12.	टेलीफोन व्यय		**49.02**	41.43
13.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री		**35.23**	36.11
14.	तार एवं डाक व्यय		**25.29**	14.13
15.	विधि विषयक व्यय		**5.61**	7.12
16.	विज्ञापनों पर व्यय		**549.15**	348.78
17.	बिक्री कर		**56.98**	55.72
18.	लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		**5.95**	16.08
19.	भाड़ा एवं हैंडलिंग प्रभार		**77.95**	109.39
20.	अप्रचलित भण्डार		**42.25**	8.74
21.	खान बंदी दायित्व के लिए प्रावधान		**29.29**	28.39
22.	दान		**0.13**	1.36
23.	कॉरपोरेट का सामाजिक दायित्व व्यय		**237.03**	223.90
24.	सेवानिवृति पश्चात चिकित्सा लाभ		**40.84**	215.00
25.	अन्य विविध व्यय		**906.07**	778.16
	कुल		**34,459.57**	32,124.15

26. मरम्मत एवं अनुरक्षण में उपयुक्त भण्डार के रूपये 3050.58 लाख (गत वर्ष रुपये 2721.58 लाख) सम्मिलित हैं तथा कलपुर्जो रुपये 5157.98 लाख (गत वर्ष रुपये 5238.37 लाख) कुल रुपये 8208.56 लाख (गत वर्ष रुपये 7959.95 लाख) जिसे "भण्डार एवं कलपुर्जे" में सम्मिलित नहीं किया गया ।

टिप्पणी-23

अन्य व्यय (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

		2013-14	2012-13
27	**लेखा परीक्षकों का भुगतान में शामिल**		
	क) सांविधिक लेखा परीक्षक को भुगतान :		
	लेखा परीक्षकों का शुल्क	**3.03**	3.03
	कर के लिए लेखा परीक्षक	**0.70**	0.70
	लेखा समीक्षा	**-**	-
	व्यय का भुगतान	**-**	-
	ख) आंतरिक अंकेक्षण शुल्क	**1.88**	12.01
	ग) वैट अंकेक्षण शुल्क	**0.34**	0.34
	योग	**5.95**	16.08

टिप्पणी-24

पूर्वकालिक समायोजन

	2013-14	2012-13
व्यय		
अन्य व्यय	**0.53**	-
उप-योग (क)	**120.09**	-
आय		
अन्य	**120.62**	-
उप-योग (ख)	**8.02**	17.30
	8.02	17.30
योग (ख-क)	**(112.60)**	17.30

टिप्पणी-25

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. **वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार :**

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के अन्तर्गत भारत में साधारणतया स्वीकृत सिद्धांत, कम्पनी 1956 के प्रावधानों, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 तथा अन्य प्रयोजन कानूनी अधिनियम के अनुसार तैयार किया जाता है ।

2. **अनुमानों का प्रयोग :**

वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण में अनुमानों एवं धारणाओं के प्रयाग की आवश्यकता पड़ती है जो कि वित्तीय विवरण के दिन परिसम्पत्ति एवं दायित्वों को सूचित करता है तथा उस अवधि के दौरान राजस्व एवं खर्चे को सूचित करता है । उस अवधि के वास्तविक परिणामों एवं अनुमानित परिणामें के अन्तर को जानने के बाद/कार्य पूरा होने के बाद मान्यता दी जाती है ।

3. **स्थायी परिसम्पत्तियाँ :**

क) कुल मूल्यह्रास को घटाकर सभी निश्चित परिसम्पत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दिखलाया गया है। परियोजनाओं के मामले में लागत पूर्व परिचालन के खर्चे भी शामिल हैं ।

ख) नयी खानों के निर्माण में हुए खर्चों को खान निर्माण की अवधि में निकले अयस्क से हुई आय को घटाकर प्राप्त किया जाता है ।

ग) बीमाकृत कलपूर्जे केवल निश्चित परिसम्पत्तियों के मद के सिलसिले में प्रयाग किये जा सकते हैं तथा जिनका नियमित रूप से इसमें उपयोग नहीं होता है उन्हें सम्बंधित सम्पत्तियों के साथ जोड़ा गया है ।

घ) सिस्टम सॉफ्टवेयर को सम्बंधित परिसम्पत्तियों के साथ पूँजी में परिणत किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जिस वर्ष इसका उपयोग हुआ उस वर्ष उसे राजस्व में दिखलाया गया है ।

4. **प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य**

पूँजीगत कार्य प्रगति पर में सम्पत्ति के अधिग्रहण तथा निर्माण के खर्चे शामिल हैं तथा अचल परिसम्पत्तियों की लागत जिसे उसमें अभिप्रेरित उपयोग के लिए अभी भी तैयार नहीं है को निर्माण खर्चे में शामिल किया गया है

5. **मूल्यह्रास :**

क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-14 में निर्धारित दर के आधार पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति द्वारा लगाया जाता है । 01.04.1997 के पूर्व अधिग्रहित परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति द्वारा परिसम्पत्तियों के 01.04.1997 के प्रारंभिक शुद्ध मूल्य पर, मूल्यह्रास की निर्धारित दर जो परिसम्पत्तियों की अवशेष आयु के आधार पर निकाली गई है, के आधार पर लगाया गया है जैसा कि कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची-14 में दर्शाया गया है ।

ख) प्रभावित वर्ष की पूर्ण अवधि में परिसम्पत्तियों का समायोजन/निपटान मासिक यथानुपात के आधार पर मूल्यह्रास प्रभारित कर दिया जाता है जिसमें अगले महीने की प्रथम तिथि को अधिग्रहण की तिथि तथा महीने की अन्तिम तिथि को उसके निपटान की तिथि माना गया है ।

ग) सम्पत्ति का विस्तार या योग जो वर्तमान परिसम्पत्तियों का अभिन्न अंग है उसे उसके उपयोग की शेष अवधि के लिए ह्रासित किया गया ।

घ) कुछ निश्चित परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची-14 में निर्धारित दर से अधिक लगाया गया है जिसके कारण उस सम्पत्ति के उपयोग की आयु तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर कम आँका जाना है । जहाँ कहीं भी वर्तमान परिसम्पत्तियों की अनुमानित आयु को वास्तविक आयु से कम होने का अनुमान लगाया गया है वहाँ संशोधन किया जाता है एवं उसके शेष उपयोग की आयु पर मूल्हास किया जाता है ।

ङ.) i) तकनीक मूल्यांकन के आधार पर तृतीय टेलिंग्स पौण्ड (स्लाइम डैम) के उपयोग की आयु 10 वर्ष है ।

ii) टेलिंग पौण्ड (स्लाइम डैम) के दीवार के ऊपर तक उठाने का कार्य वित्तीय वर्ष में पूरा कर इसे पूँजीगत कर दिया गया है एवं तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर इसके उपयोग आयु से ह्रासित किया गया ।

च) टेलिंग्स पौण्ड के निर्माण के लिए उपयोग की गई निजी भूमि, सरकारी भूमि, वनभूमि का मूल्यह्रास उसकी उपयोगी आयु के आधार पर किया गया है।

छ) सरकारी भूमि जिसे लीज होल्ड के अन्तर्गत दिखलाया गया है तथा जिसे अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया गया है उसे लीज अवधि तक के लिए या सम्पत्ति के उपयोग की अवधि तक के लिए जो भी पहले होता है जिसके लिए भुमि का उपयोग किया गया है उसका मूल्यह्रास किया गया है ।

ज) अमूर्त सम्पत्ति : वन भूमि जिसे विभिन्न खानों एवं मिलों के लिए अधिग्रहित किया गया था उसका परिशोधन सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उसकी सम्भावित आयु के अनुमान पर किया गया है ।

झ) बीमाकृत कलपूर्जों को संबंधित परिसम्पत्तियों के अवशेष उपयोग की आायु से उस दर पर ह्रासित किया जाता है जो उस सम्पत्ति के लिए प्रयोज्य है तथा मूल्यह्रास की राशि को सम्पत्ति के अधिग्रहण की तारीख से बीमाकृत कलपूर्जों की आयु तक के लिए अधिग्रहण के वर्ष में लगाया गया है ।

ट) 5,000/- रु. या उससे कम लागत वाली परिसम्पत्तियों को वर्ष के प्रारम्भ में ही पूर्णत: ह्रासित कर दिया जाता है ।

6. **वस्तुओं का मूल्यांकन :**

क) वस्तुओं का मान :

वस्तुओं को कम लागत एवं प्राप्ति योग्य मूल्य में जो भी कम हो पर लिया गया है ।

ख) लागत सूत्र

i)	अयस्क एवं प्रगतिशील कार्य	लागत पद्धति अपनाने पर
ii)	प्रत्यक्ष सामग्री, भण्डार तथा कलपूर्जे	भारित औसत लागत मूल्य पर
iii)	मार्गस्थ एवं निरीक्षणाधीन माल	अधिग्रहित मूल्य पर
iv)	गौण-उत्पाद	परिवर्तित लागत पर
v)	स्क्रैप	अनुमानित मूल्य पर

ग) खुले औजार

खुले औजार को जारी करने के वर्ष ही बट्टे खाते में डाल दिया जाता है ।

घ) प्रयोज्य सम्पत्ति

निश्चित परिसम्पत्तियों के मद जो उपयोग के बाद छोड़ दिये जाते हैं तथा जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है एवं जिन्हें निपटान के लिए रखा गया है उन्हें उनके शुद्ध लिखित मूल्य तथा प्राप्तियोग्य मूल्य जो भी कम हो, पर दिखालाया जाता है ।

ड.) अयोग्य/ अप्रचलित भण्डार

पूँजीगत भंडार एवं बीमाकृत कलपुर्जों के अतिरिक्त ऐसे भण्डार व कलपुर्जे जिनका पिछले पाँच वर्षों में प्रयोग नहीं किया गया है, के लिये अयोग्य अप्रचालित भण्डार का प्रावधान किया गया है। अनपयुक्त घोषित की गई सामग्री को निपटान के लिये अलग रखा जाता है और उसके लिखित मूल्य को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है । निपटान में प्राप्त हुए मूल्य को आय में जमा कर दिया जाता है ।

7. **राजस्व की मान्यता :**

भारत सरकार द्वारा यूरेनियम सान्द्र के अधिग्रहण के लिए दी गई क्षतिपूर्ति को राजस्व के रूप में मान्यता दी गयी है ।

8. **अनुदान एवं सहायता :**

केन्द्र सरकार द्वारा पूँजीगत व्यय के लिये प्राप्त अनुदान जहां अधिग्रहित परिसम्पत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास हो, इस प्रकार की परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की लागत में समायोजित किया जाता है ।

9. **अयस्क पिण्ड के विकास पर व्यय :**

वर्तमान कार्यरत खान में अयस्क पिण्ड को विकसित करने में हुए व्यय को उसी वर्ष जिसमें यह व्यय हुआ है, के लाभ हानि खाते में दिखाया गया है ।

10. **खान बंदी दायित्व :**

खान एवं खनिज (विकास व नियमन) कानून 1957(एम.एम.डी.आर. 1957) के अनुसार खान बन्द करने व पर्यावरण के पुनरुद्धार के दायित्व को पूर्ण करने के लिये देयधन का, अयस्क भण्डार की उपलब्धता के आधार पर तकनीकी आकलन कर खान के वार्षिक खनिज उत्पादन के आधर पर लाभ हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है ।

11. **ओपेन कास्ट खान के विकास पर व्यय :**

ओपेन कास्ट खान के विकास पर हुए व्यय को अयोग्य पत्थर की पर्त को हटाने एवं खान के चालू होने की तिथि तक खनन बेंचों की तैयारी में हुए व्यय को खान की पूर्ण आयु पर परिशोधित किया जाता है ।

12. **सेवा निवृत्ति के लाभ :**

क) भविष्य निधि में कम्पनी के अंशदान को लाभ हानि खाता में उपार्जित आधार पर दिखालाया गया है।

ख) सेवा निवृत्ति में अंशदान कम्पनी की नीतियों के आधार पर किया जाता है तथा इसे भारत सरकार के जीवन बीमा निगम में जमा कराया जाता है एवं लाभ हानि खाता में उसी वर्ष दिखालाया जाता है जिस वर्ष यह (प्रीमियम) बकाया पड़ता है।

ग) ग्रेच्युटी तथा छुट्टी के नगदीकरण के लाभ को उपार्जित मूल्यांकन के आधार पर उसी वर्ष लाभ हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

घ) स्वौच्छिक सेवा निवृत्ति के खर्चों को उसी वर्ष राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष यह कर्मचारियों को अनुमोदित किया जाता है।

13. विदेशी मुद्रा का लेन-देन:

विदेशी मुद्रा का लेन-देन उसी तारीख के प्रभावी दर पर दर्ज किया जाता है जिस तारीख को यह लेन-देन हुआ है। वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा का दायित्व तथा चालू परिसम्पत्तियों को प्रभावी दर से रूपांतरित/बदला जाता है । पूँजीगत सम्पत्ति के मामले में इसके अन्तर को निश्चित परिसम्पत्तियों/पूँजी डब्ल्यू आई पी से तथा चालू परिसम्पत्ति/दायित्व के मामले में लाभ-हानि खाते में रूपांतरित किया जाता है ।

14. चालू एवं आस्थगित कर के लिए प्रावधान :

आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभ को बिचारने के बाद वर्तमान के कर का प्रावधान किया गया है। आस्थगित कर जो लिखित और कर योग्य लाभ के मध्य समय की भिन्नता (टाइमिंग डिफरेंस) के फलस्वरूप कर की दरें तथ नियमों में प्रयोग के लिए किया जाता है जो आर्थिक चिट्ठा के दिन विधि अथवा पर्याप्त रूप से विधिवत् रूप में लिया जाता है। आस्थगित कर सम्पत्ति को मान्यता है तथा इसे उस अवस्था तक लिया जाता है जहाँ तक न्यायसंगत कारण है कि वह भविष्य में सम्पत्ति के रूप में परिणत किया जायेगा ।

15. नकदी प्रवाह विवरण :

अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग कर नकदी प्रवाह को सूचित किया गया है जिसमें कर पूर्व लाभ को बिना नकद लेन-देन के प्रभावों की गैर नकदी प्रवाह प्रकृति अथवा भविष्य एवं विगत की किसी आस्थगित एवं उपार्जित प्राप्ति अथवा भुगतान के प्रभावों को समायोजित किया जाता है। कम्पनी की नियमित राजस्व आमदनी, वित्तपोषण और निवेश गतिविधियों द्वारा प्राप्त नकदी प्रवाह को अलग दिखाया जाता है ।

16. अनुसंधान एवं विकास में व्यय :

पूँजीगत मदों से संबंधित खर्चों को निश्चित परिसम्पत्तियों में डेबिट किया जाता है तथा प्रयोज्य दरों पर मूल्यह्रासित किया जाता है। राजस्व खर्चे जिस वर्ष हुए इन्हें उसी वर्ष के लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है ।

17. पूर्व अवधि का समायोजन :

विगत वर्ष से संबंधित 50,000 रुपये से अधिक के आय/व्यय वाले मदों से जुड़े प्रत्येक मामले को पूर्व अवधि समायोजन के रूप में दिखलाया जाता है ।

18. पूर्वदत्त व्यय :

अवधि समाप्त होने के पूर्व 50,000 रुपये से ज्यादा की पूँजी से जुड़े प्रत्येक मामले को पूर्वदत्त व्यय के रूप में दिखलाया जाता है ।

19. लेखा की उपार्जित पद्धति के अपवाद :

कम्पनी निम्नलिखित मदों को छोड़कर जिनका नकदी आधार पर लेखा में प्रयोग होता है, लेखा में उपार्जित व्यवस्था को अपनाती है।

(क) ऐसे व्यय जिसके मूल्य का न्यायसंगत अंदाजा प्रावधान बनाने के लिये नहीं लगाया जा सकता ।

(ख) चिकित्सा भण्डार, खेल सामग्री, मुद्रण एवं स्टेशनरी तथा जलपानगृह और अतिथिगृह के लिए व्यय का प्रावधान इसके क्रय के समय ही कर लिया जाता है।

20. सम्पत्तियों की क्षीणता :

(क) यह जानने के लिए कि क्या सम्पत्तियों में क्षीणता का कोई संकेत है सम्पत्तियों की लागत को प्रत्येक तुलनपत्र में विचारा जाता है। अगर कोई संकेत रहता है तो उस सम्पत्ति से प्राप्त होनेवाली राशि का अनुमान लगाया जाता है। सम्पत्ति की क्षमता को आंका जाता है कि क्या इसकी वसूली योग्य कीमत से इसकी दिखाई लागत अधिक है। संपत्ति की क्षीणता को तब मान्यता दी जाती है जब दिखाई जा रही राशि (Carrying Amount), वसूली योग्य राशि (Recoverable Amount) से अधिक है । प्राप्तियोग्य मूल्य, सम्पत्ति की बिक्री मूल्य तथा उपयोग किये मूल्य से ऊँचा होता है। उपयोग किये मूल्य का निर्धारण भविष्य के कैश फ्लो को नियोजित पूँजी से जिसे भारत सरकार द्वारा यूरेनियम सान्द्र की दर के क्षतिपूर्ति के आधार पर कर दी जाती है, उसमें वर्तमान मूल्य को घटा दिया जाता है ।

(ख) क्षीणता ज्ञात होने के बाद सम्पत्ति की संशोधित राशि पर मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है जो इसकी उपयोगी आयु के ऊपर होता है।

(ग) पूर्व में निर्धारित मूल्यह्रास हानि की परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर बढ़ाया या घटाया जाता है । हालांकि, क्षीण हानि को उस राशि से ज्यादा नहीं घटाया जा सकता है जो कि दिखाई गई राशि से ज्यादा हो जिसका निर्धारण (शुद्ध परिशोधित अथवा मूल्यह्रास) यह मानकर कि पूर्व वर्ष में कोई क्षीण हानि नहीं निर्धारित की गई है के आधार पर किया गया हो

21. आकस्मिक दायित्व :

इसे आर्थिक चिट्ठा के टिप्पणी द्वारा उल्लिखित किया गया है । इसे लेखा में उन आकस्मिक खर्चों के लिए प्रावधित किया जाता है जिसे वर्ष के अंत में लेखा की समाप्ति पर दायित्व में परिवर्तित किया जायेगा एवं आर्थिक चिट्ठा में जिसका प्रभाव दिखलाया जायेग।

22. प्रावधान :

पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्वों के लिये प्रावधान की मान्यता है और ऐसे दायित्व के, भुगतान के लिये सम्भवत: संसाधनों के बहिर्वाह की जरूरत होगी बशर्ते इनका विश्वसनीय आकलन सम्भव हो। प्रावधानों को इसके वर्तमान मूल्य में नहीं लिया गया है। इसे प्रबंधन के अनुमान पर निश्चित किया गया है जिससे कि दायित्वों का तुलन पत्र की तिथि पर निस्पत्ति किया जा सके। इसकी प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि में समीक्षा की गई है एवं इसे प्रबंधन के वर्तमान अनुमान में प्रतिबिम्बित किया गया है ।

टिप्पणी-26

लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ

26.1 कम्पनी को परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या 7/6/69-मिन दिनांक 07 अगस्त, 1973 तथा संख्या 7/6/69-मिन (पी एस यू) दिनांक 03 जुलाई, 1974 की शर्तों के अनुपालन में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 के 33) की धारा 18 के अन्तर्गत अपने उत्पादन तथा उपभुक्त कच्चे माल, प्रारंभिक एवं अंतिम स्टॉक, क्रय किये गए या अधिग्रहण किये गए कच्चे माल, अनुजाति एंव स्थापित क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन को प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित करने या उपलब्ध करने से निषिद्ध कर दिया गया है ।

तथापि इन सूचनाओं को वर्ष 2003-04 से सरकारी लेखा परीक्षकों को उपलब्ध कराया जाता है जो कम्नी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अनुसार उनके उच्च स्तर के उच्च परीक्षकों को परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या 10/8(12)/2004-पी.एस.यू./448 दिनांक 9 जुलाई, 2004 के तहत कम्पनी का महत्वपूर्ण अंकेक्षण को देखने एवं इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति, जिसमें इन सूचनाओं को अन्य एजेंसियों को नहीं दिये जाने का गोपनीय करार भी है, दिया जाता है।

26.2 क) कम्पनी ने तुमलापल्ली में 813.412 हेक्टेयर (गत वर्ष 813.412 हेक्टेयर), भूमि, तुरामडीह में 557.18 एकड़ (गत वर्ष 557.18 एकड़) भूमि, बांदहुरांग में 686.86 (गत वर्ष 686.86 एकड़) भूमि एवं बागाता में 303.14 एकड़ (गत वर्ष 303.14 एकड़) भूमि का खनन पट्टा प्राप्त कर लिया है। कम्पनी भाटिन सहित जादुगोड़ा के लिए 1312.62 एकड़ (गत वर्ष 1312.62 एकड़) भूमि के खनन पट्टा के नवीनीकरण, नरवापहाड़ में 1128.32 एकड़ (गत वर्ष 1128.32 एकड़, जिसके लिए खनन पट्टा प्राप्त कर लिया गया था), माहुलडीह के लिए 288.20 एकड़ (गत वर्ष 288.20 एकड़) भूमि, तुरामडीह के लिए 31.77 एकड़ (गत वर्ष 31.77 एकड़) अतिरिक्त भूमि, के.पी.एम. के लिए 290.45 हेक्टेयर (गत वर्ष 290.45 हेक्टेयर) एवं लाम्बापुर के लिए 1301.38 एकड़ (गत वर्ष 1301.38 एकड़) भूमि एवं गोगी के लिए 39.13 एकड़ (गत वर्ष शून्य) भूमि के लिए खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पत्राचार कर रही है ।

ख) कम्पनी राज्य सरकार/निजी पार्टियों से 1548.09 एकड़ भूमि (गत वर्ष 1548.09 एकड़) भूमि का स्वीकारात्मक स्वामित्व रखती है। जिससे संबंधित दस्तावेजों का हस्तांतरण/पंजीकरण आदि पूरा करना बाकी है, जिसकी कीमत 1517.59 लाख रुपया (गत वर्ष 1517.59 लाख रुपया) है, जिसे कम्पनी की अचल परिसम्पत्ति में "लीज की भूमि" तथा "स्वतंत्र भूमि" शीर्ष में सम्मिलित किया गया है ।

ग) मुसाबनी में पूर्ववर्ती बिहार सरकार द्वारा हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को पट्टे पर दी गई 3 एकड़ भूमि का उपयोग कम्पनी द्वारा 1986 से किया जा रहा है। इसके प्रयोग से संबंधित कोई औपचारिक अनुबंध नहीं हो पाने के कारण इसके लिए भुगतान/प्रावधान पर कोई विचार नहीं किया गया है।

परियोजना पूर्व के खर्चे

लाम्बापुर परियोजना रू. 7,05,80,770:

26.3 क) आंध्र प्रदेश के लाम्बापुर परियोजना के लिए डी.पी.आर. 2003 में तैयार किया गया और 2003 में परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया । खान के लिए पर्यावरण स्वीकृति 2005 में प्राप्त किया गया एवं प्लांट के लिए 2007 में स्वीकृति प्राप्त किया गया । तथापि परियोजना निर्माण के लिए सरकार की स्वीकृति अभी भी प्राप्त किया जाना है ।

के.पी.एम. परियोजना रू. 7,75,32,688:

ख) कम्पनी ने ई.आइ.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट तैयार करना आरंभ किया है एवं मेघालय के केलिंग पेंडिंगसोहियोंग, माउथावा खनन एवं मिलिंग परियोजना के लिए वर्ष 2001 में खनन पट्टे हेतु आवेदन किया है । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वर्ष 2004 में तैयार की गई थी। 30 वर्षों के लिए पट्टे पर भूमि स्थानान्तरण हेतु आवेदन कम्पनी के द्वारा मार्च, 2007 में जमा किया गया था । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 2007 में पर्यावरण स्वीकृति ले ली गई थी। तथापि, सरकार से स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त नहीं होने की वजह से परियोजना निर्माण आरंभ होना अभी बाकी है ।

तुम्मलापल्ली विस्तारण परियोजना रू. 67,81,783:

ग) तुम्मलापल्ली विस्तारण परियोजना की वर्तमान उत्पादन क्षमता को तुम्मलापल्ली परियोजना के लिए 3000 टन प्रतिदिन से 4500 टन प्रतिदिन तक बढ़ाने हेतु 2010 में डी.पी.आर. तैयार कर लिया गया था। ई.आई.ए./ ई.एम.पी. अध्ययन आयोजित किया गया एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा कर दिया गया। चूँकि जन-सुनवाई समय पर आयोजित नहीं की जा सकी, अत: संदर्भ की शर्तें समाप्त हो चुकी थी। टी.ओ.आर. एवं ई.आई.ए./ ई.एम.पी. अध्ययन हेतु नई प्रक्रिया की पहल कर दी गई है।

गोगी परियोजना रू. 1,04,89,355:

घ) कर्नाटक में गोगी यूरेनियम खनन एवं मिलिंग परियोजना के लिए 2010 में डी.पी.आर. तैयार कर लिया गया था। 2010 में परमाणु ऊर्जा आयोग ने भी परियोजना की स्वीकृति दे दी थी। नवम्बर 2010 में आयोजित की गई जन-सुनवाई को एम.ओ.ई.एफ. के द्वारा वैध घोषित नहीं किया गया था। संदर्भ की शर्तें समाप्त हो चुकी थी। नए ई.आई.ए./ ई.एम.पी. अध्ययन हेतु नई प्रक्रिया की पहल कर दी गई है।

चालू परियोजना :

तुरामडीह मैग्नेटाइट प्रतिप्राप्ति परियोजना रू. 1,94,625:

ङ) तुरामडीह में मैग्नेटाइट प्रतिप्राप्ति संयंत्र हेतु सांविधिक निकासी की प्रक्रिया प्रगति पर है। संयंत्र की रूपरेखा पूर्ण कर ली गई है तथा परामर्शदाता डिजाइन बेस्ड रिपोर्ट (डी.बी.आर.) तैयार करने में संग्लन है। उपकरण की खरीद हेतु अग्रिम कार्रवाई प्रगति पर है।

जादुगोड़ा में चतुर्थ चरण टेलिंग पॉण्ड परियोजना रु. 1,34,51,341:

च) जादुगोड़ा परियोजना में चतुर्थ चरण टेलिंग पॉण्ड के लिए साइट क्रिया-कलाप आरंभ कर दिए गए हैं तथा ड्रिलिंग एवं ग्राउटिंग से संबंधित कार्य तथा प्राकृतिक जल-धारा को मोड़ने का कार्य पूर्ण हो गया है। डैम-टो के चारों ओर रिटेनिंग वॉल के निर्माण कार्य के ठेके का कार्य पूर्ण हो चुका है।

तुरामडीह पैरॉक्साइड संयंत्र परियोजना रु. 34,87,204:

छ) तुरामडीह परियोजना में एजीटेटर अमोनिया एवं पैरॉक्साइड के लिए स्टोरेज टाइम का डिजाइन पूर्ण हो चुका है। खरीद, निर्माण, बनावट तथा स्थापन का कार्य-आदेश दिया जा चुका है।

तुम्मलापल्ली परियोजना रु. 1578,31,29,012:

ज) एटॉमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड (ए.ई.आर.बी.) अप्रैल 2014 तक मान्य अपने पत्रांक एईआरबी/आईपीएसडी/एमएम/यूसीआईएल/75(ए-5)/2012/1772 दिनांक 20.04.2012 के द्वारा निष्क्रिय सामान्य के साथ स्थापन की सहमति की पश्चात अपने पत्रांक एईआरबी/आईएसडी/एबी/यूसीआईएल/75ए (5)/2013/585 दिनांक 18.02.2013 के द्वारा तुम्मलापल्ली संयंत्र को अयस्क के साथ चलाने की सहमति प्राप्त कर चुका था।

यूसील यूरेनियम अयस्क के साथ परफॉरमेंस डाटा से संबंधित प्रक्रिया को एकत्रित कर एईआरबी को उपकरण एवं प्रक्रिया से संतुष्टि निष्पादन के लिए डिजाइन बेसिस रिपोर्ट (डीबीआर) के संबंध में पुनरावलोकन के लिए प्रस्तुत करना था। मिल के संचालन की सहमति अयस्क के साथ हुए कमिसनिंग ट्रायल के द्वारा सटिसफैक्टरी परफॉरमेंस डाटा के आधार पर दी जाएगी। तुम्मलापल्ली मिल में अलक्लाइन प्रेशर लिचिंग प्रोसेस का प्रत्यक्ष अवक्षेपण के बाद पायलट अध्ययन के पश्चात पहली बार कार्यान्वयन किया जा रहा है। प्रक्रिया से संबंधित कठिनाइयाँ उत्पाद अवक्षेपण स्तर में तथा रि-एजेंट हैंडलिंग स्तर में है। उपरोक्त की वजह से अयस्क प्रोसेसिंग क्षमता तथा अयस्क प्रतिप्राप्ति प्रभावित हो रही है। परिणामस्वरूप प्लांट के कॉमर्शियल संचालन की सहमति लंबित है।

एक समिति जिसमें भाभा एटामिक रिसर्च सेंटर (बी ए आर सी) तथा यूसिल के वैज्ञानिक हैं, का गठन किया गया है, जो औद्योगिक आधुनिकीकरण का सुझाव प्रयोगशाला एवं पायलट अध्ययन के सही होने के साथ है। वर्तमान नियोजित समय के अनुसार जारी आधुनिकीकरण सितंबर 2015 तक पूर्ण होने की आशा है। एईआरबी ने पुन: अपने पत्रांक एईआरबी/आईएसडी/एबी/ यूसीआईएल/75ए (5)/2014/1916 दिनांक 12.06.2014 के द्वारा कमिशनिंग ट्रायल रन की समयावधि तुम्मलापल्ली के तुम्मलापल्ली मिल के लिए सहमति का विस्तार 30.04.2015 तक किया है। उपरोक्त की वजह से तुम्मलापल्ली परियोजना कमर्शियल स्थापन पूंजीगतिकरण नहीं हो सका है।

तुम्मलापल्ली परियोजना से संबंधित खर्चों को तुम्मलापल्ली प्लांट के द्वारा U_3O_8 के बदले में प्राप्त राशि के समायोजन के पश्चात प्रक्रियाधीन पूँजी के अन्तर्गत दिखाया गया है।

(लाख रुपये में)

26.4	आकस्मिक देयताएँ तथा वचनबद्धता (जहाँ तक प्रावधान नहीं किया गया)	**31 मार्च 2014 के अनुसार**	31 मार्च 2013 के अनुसार
क)	दावा जिसे ऋण के रूप में नहीं स्वीकारा गया	0.59	0.59
ख)	असमाप्त शाख-पत्र	108.90	135.66
ग)	ठेके के शेष अनुमानित राशि जिसका पूँजीगत लेखे में निष्पादन करना है (शुद्ध अग्रिम)	3123.94	4839.94
घ)	कम्पनी के विरूद्ध दावे जिसे कम्पनी ने कर्ज के रूप में नहीं स्वीकारा है		
i)	ठेकेदारों, छूट प्रपत्रों, इनपुट टैक्स क्रेडिट के नि:शुल्क सामग्री निर्गम के संबंध में बिक्री कर दावों पर कम्पनी का विवाद	396.95	393.09
ii)	झारखण्ड बिजली बोर्ड द्वारा इंधन प्रभार का दावा जो कम्पनी द्वारा विवादित है	11730.19	10155.95
iii)	आयकर दावे जिसके लिए कटौती एवं कर देयता के संबंध में कम्पनी का विवाद	501.98	501.95
iv)	खरकाई नदी से जलापूर्ति के लिए खरकाई नहर द्वारा जल प्रभार का दावा	185.29	200.54

कुछ मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं जिसके लिए लेखे में कोई प्रावधान नहीं किया गया। आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण नहीं किया गया है क्योंकि उसका इस स्तर पर पता लगाना संभव नहीं है ।

26.5 लेनदारों, देनदारों का अग्रिम ठेकेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं की शेष राशि समाधान/ पुष्टिकरण के परिणामस्वरूप लंबित समायोजन बाकी है।

26.6 आंतरिक एवं बाहरी तथ्यों के निर्धारण के आधार पर सम्पत्तियों के मिलान के लिए कोई तुलनात्मक प्रावधान का विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि परिसम्पत्तियों का वास्तविक मूल्य वर्तमान परिसम्पत्तियों के लागत से अधिक है।

26.7 कम्पनी कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान नियम 1952 (ई.पी.एफ. एक्ट) के अन्तर्गत नहीं आता है, परन्तु भविष्य निधि की व्यवस्था 1967 से न्यास के द्वारा की जा रही है जिसका नियम कम्पनी के द्वारा बनाया हुआ है और वह रिजनल प्रोविडेंड फंड कमिशनर (RPFC), पटना एवं आय कर आयुक्त द्वारा अनुमोदित है। तथापि आरपीएफसी, जमशेदपुर ने अपने सूचना दिनांक 01.01.1997 द्वारा दावा किया है कि यह ई.पी.एफ. एक्ट 1952 के अन्तर्गत आता है एवं 1997 से कम्पनी का पी.एफ. एवं फैमिली पेन्शन अंशदान जमा करने के लिए कहा है। कम्पनी ने दावे पर आपत्ति उठाई है तथा इसे अपील किया है जो वर्तमान में इम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड अपीलेट ट्रिव्यूनल (EPAT), नई दिल्ली के पास लंबित है। चूँकि कम्पनी के पी.एफ. अंशदान न्यास को भुगतान किया है जो 1952 ई.पी.एफ. एक्ट के अनुसार देय है, अत: कोई अतिरिक्त वित्तीय दायित्व ई.पी.ए.टी के समक्ष अपील लम्बित होने के कारण नहीं बनता है।

26.8 अभियंता प्रमाण-पत्र के अनुसार तुलन पत्र तिथि का प्रावधान कार्य देयता के लिए किया जाता है । अंतिम भुगतान बिल में जिसका इस्तेमाल लंबित परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण का प्रावधान अभियंता प्रमाण पत्र के अनुसार उपबंध किया जाता है जिसका अंतिम भुगतान में समायोजन करना आवश्यक होता है।

26.9 अतिरिक्त सूचनाएँ **(लाख रुपये में)**

	2013-14	2012-13
(क) सी.आई.एफ. के आधार पर आयात की गई सामग्रियों का मूल्य		
i) संघटक एवं कलपूर्जे	**175.07**	378.52
ii) पूँजीगत माल	**-**	-
योग (क)	**175.07**	378.52
(ख) विदेशी मुद्रा में व्यय (उपार्जन के आधार पर)		
i) पुस्तकें तथा पत्रिकाएँ	**-**	-
ii) विदेश यात्रा	**8.43**	8.95
योग (ख)	**8.43**	8.95

(ग) वर्ष भर में आयातीत/स्वदेशी सामग्रियों, कलपूर्जे एवं उपभुक्त संघटकों का कुल मूल्य :

	2013-14	**%**	2012-13	%
आयातित	**276.25**	**1.27**	365.84	1.54
स्वदेशी	**21426.50**	**98.73**	23460.98	98.48
योग	**21702.76**	**100.00**	23826.82	100.00

26.10 लेखा मानक-15 के अनुसार प्रकटीकरण (संशोधित)

	2013-14	2012-13
क) परिभाषित अंशदायी योजना		
वर्ष के लिए लाभ एवं लेखा विवरण में निम्नलिखित को चिह्नित किया गया :		
कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान	**1758.21**	1596.09
सेवानिवृत्ति निधि में अंशदान	**79.00**	69.06
ख) ग्रेच्युटी के संबंध में (कम्पनी निधि द्वारा) ग्रेच्युटी के संबंध में तुलन-पत्र में चिह्नित राशि		
वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य के परिभाषित निधि लाभ का दायित्व	**9994.17**	8959.86
योजना सम्पत्ति का वास्तविक मूल्य	**8918.35**	7,817.93
कुल देयताएँ (परिसम्पत्ति)	**(1075.82)**	(1141.93)

(लाख रुपये में)

	2013-14	2012-13
ग्रेच्युटी के संबंध में लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ की राशि को चिह्नित किया गया		
चालू लेखा लागत	**476.92**	408.64
परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज	**683.27**	620.24
योजना सम्पत्ति पर अनुमानित लाभ	**(719.00)**	(674.79)
चिह्नित अवधि के दौरन शुद्ध लाभ/हानि	**883.36**	1396.57
विगत सेवा लागत	**-**	-
शुद्ध ग्रेच्युटी लागत	**1324.55**	1750.66
लाभ-हानि खाते में प्रभारित राशि	**1297.90**	1708.88
आई.ई.डी.सी. को को हस्तांतरित राशि	**26.65**	41.78
योजना सम्पत्ति पर वास्तविक लाभ :		
योजना सम्पत्ति पर अनुमानित लाभ	**719.00**	674.79
योजना सम्पत्ति पर वास्तविक लाभ/हानि	**39.52**	(195.62)
	719.00	479.17

योजना सम्पत्ति के वास्तविक लागत एवं दायित्व का वर्तमान मूल्य का पुनर्मूल्यांकन : **दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**	**2013-14**	2012-13
आरम्भिक परिभाषित लाभ दायित्व	**8959.86**	7,863.90
चालू सेवा लागत	**476.92**	408.64
ब्याज लागत	**683.27**	620.24
योजना संशोधन लागत	**-**	-
वास्तविक (लाभ/हानि)	**922.88**	1200.95
लाभ भुगतान	**(1048.76)**	(1133.87)
अन्तिम परिभाषित लाभ दायित्व	**9994.17**	8,959.86

योजना परिसम्पत्ति मूल्य में वास्तविक परिवर्तन	**2013-14**	2012-13
योजना सम्पत्ति का प्रारम्भिक वास्तविक मूल्य	**7817.93**	7,656.52
योजना सम्पत्ति पर अनुमानित लाभ	**719.00**	674.79
वास्तविक लाभ/(हानि)	**39.52**	(195.62)
नियोजक द्वारा अंशदान	**1390.66**	816.11
लाभ भुगतान	**(1048.76)**	(1133.87)
योजना सम्पत्ति का अंतिम वास्तविक मूल्य	**8918.35**	7,817.93

(लाख रुपये में)

योजना सम्पत्ति का निवेश विवरण	2013-14	2012-13
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	**32.01%**	19.54%
कॉरपोरेट बाँड (बंध पत्र)	**34.95%**	57.04%
विशेष जमा योजना	**23.32%**	23.42%
अन्य (एल.आई.सी.)	**23.32%**	-
कुल	**100%**	100%

ग्रेच्युटी के संबंध में चालू वर्ष एवं विगत चाार वर्षों की राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार
परिभाषित लाभ	**(9934.17)**	(8959.86)	(7,863.90)	(7426.93)	(5083.58)
योजना सम्पत्ति	**8918.35**	7817.93	7656.52	4614.09	4884.98
अतिरिक्त/(ह्रास)	**(1075.82)**	(1141.93)	(207.38)	(2812.84)	(198.60)
योजना दायित्व पर समायोजन का अनुभव	**(1954.84)**	(900.15)	(516.85)	(1018.60)	(969.59)
योजना सम्पत्ति पर समायोजन का अनुभव	**39.52**	(195.62)	(5.67)	148.86	91.45
वास्तविक लाभ/(हानि) अनुमान में परिवर्तन के कारण	**1031.96**	(300.80)	280.43	0	864.70

तुलन पत्र तिथि के अनुसार मुख्य वास्तविक अनुमान

	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
छूट दर (%)	**9.25%**	8.10%
सम्पत्ति योजना पर लाभ का अनुमानित दर (%)	**9.00%**	9.00%

(लाख रुपये में)

(ग)

छुट्टी लाभ योजना के सम्बंध में परिभाषित लाभ अभिकल्पना	31 मार्च 2014 स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 स्थिति के अनुसार
छुट्टी लाभ के सम्बंध में तुलन-पत्र में राशि को स्वीकार किया गया		
परिभाषित लाभ निधि का वर्तमान मूल्य		
वर्ष के अंत में दायित्व	**3247.22**	2776.28
योजना सम्पत्ति का औचित्य मूल्य	**0.00**	0.00
शुद्ध देयता/(परिसम्पत्ति)	**3247.22**	2776.28
छुट्टी के सम्बंध में लाभ एवं हानि खाते के विवरण में स्वीकार की गई राशि		
चालू सेवा लागत	**559.02**	466.06
परिभाषित लाभ का दायित्व	**220.41**	195.25
योजना परिसम्पत्ति पर अनुमानित वापसी	**0.00**	0.00
शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/अवधि के दौरान स्वीकार की गई हानि	**(198.24)**	(116.64)
विगत सेवा लागत	**0.00**	0.00
शुद्ध छुट्टी नकदीकरण लागत	**581.19**	544.67
लाभ एवं हानि लेखे को राशि विवरण में प्रभारित किया गया	**547.66**	507.61
आई.ई.डी.सी. में हस्तांतरित राशि	**33.53**	37.06
दायित्व के वर्तमान मूल्य का पुनर्मिलान एवं योजना सम्पत्ति का उचित मूल्य		
परिभाषित योजना में परिवर्तन :		
आरम्भिक परिभाषित लाभ दायित्व	**2776.28**	2362.40
चालू सेवा लागत	**559.02**	466.06
ब्याज लागत	**220.41**	195.25
योजना संशोधन लागत	**0.00**	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि	**(198.24)**	(116.64)
भुगतान किया गया लाभ	**(110.25)**	(130.79)
अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	**3247.22**	**2776.28**
योजना परिसम्पत्ति उचित मूल्य में परिवर्तन		
योजना परिसम्पत्ति का प्रारम्भिक उचित मूल्य	**0.00**	0.00
योजना परिसम्पत्ति पर अनुमानित वापसी	**0.00**	0.00
बीमांकिक लाभ/(हानि)	**0.00**	0.00
नियोजकों द्वारा किया गया अंशदान	**110.25**	130.79
भुगतान किया गया लाभ	**(110.25)**	(130.79)
योजना परिसम्पत्ति का अंतिम उचित मूल्य	**0.00**	0.00

(लाख रुपये में)

तुलन-पत्र में छुट्टी नकदीकरण पर मुख्य बीमांकिक अनुमान	31 मार्च 2014 स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 स्थिति के अनुसार
i) छूट दर (%)	**9.25**	8.00
ii) योजना सम्पत्ति पर वापसी की अनुमानित दर (%)	**-**	-
iii) वेतन वृद्धि दर (%)	**5%**	5%
iv) आहरण दर (%)	**1%**	1%

(घ)

सेवा-निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ के सम्बंध में परिभाषित लाभ योजना	31 मार्च 2014 स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 स्थिति के अनुसार
सेवा निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ के सम्बंध में तुलन-पत्र में स्वीकार की गई राशि		
प्रक्षिप्त लाभ दायित्व	**244.82**	226.58
योजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	**0.00**	0.00
शुद्ध देयता/(परिसम्पत्ति)	**244.82**	**226.58**
लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकार की गई राशि एवं सेवा निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ के सम्बंध में		
चालू सेवा लागत (पूर्ण बीमा लाभ के लिए जोखिम प्रीमियम सहित)	**10.20**	9.44
ब्याज लागत	**17.70**	0.00
योजना परिसम्पत्ति पर अनुमानित वापसी	**0.00**	0.00
अवधि के दौरान/स्वीकार की गई शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	**6.41**	237.39
विगत सेवा लागत	**0.00**	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में चिन्हित नियोक्ता का शुद्ध व्यय	**34.31**	246.83
लाभ एवं हानि लेखे के विवरण में प्रभारित राशि	**31.41**	215.00
आई.ई.डी.सी. को हस्तांतरित राशि	**2.90**	31.83
दायित्व के वर्तमान मूल्य का पुनर्मिलान एवं योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य :		
परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन -		
प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	**244.82**	226.58
चालू सेवा लागत	**10.20**	9.44
ब्याज लागत	**17.70**	0.00
योजना संशोधन लागत	**0.00**	0.00
बीमांकित (लाभ)/हानि	**6.41**	237.39
लाभ का भुगतान	**(16.07)**	(20.25)
अंतिम परिभाषित दायित्व	**244.82**	226.58

(लाख रुपये में)

उचित मूल्य योजना परिसम्पत्ति में परिवर्त्तन	31 मार्च 2014 स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 स्थिति के अनुसार
योजना परिसंपत्ति का प्रारंभिक उचित मूल्य	**0.00**	0.00
योजना परिसंपत्ति पर अनुमानित वापसी	**0.00**	0.00
बीमांकित लाभ / (हानि)	**0.00**	0.00
नियोजक द्वारा अंशदान	**16.07**	20.25
लाभ का भुगतान	**(16.07)**	(20.25)
योजना परिसंपत्ति का अंतिम उचित मूल्य	**0.00**	0.00
तुलन-पत्र में सेवा निवृति पश्चात चिकित्सा लाभ पर मुख्य बीमांकिक अनुमान		
छूट दर (%)	**9.25**	8.10
योजना परिसंपत्ति पर वापसी की अनुमानित दर (%)	**अप्रयोज्य**	अप्रयोज्य
चिकित्सा मुद्रा स्फीति दर (%)	**6.00**	5.00
प्रति व्यक्ति औसत चिकित्सा लागत	**6,300**	6,000
मृत्यु दर (%)	**भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर 2006-08 संशोधित**	अप्रयोज्य
आहरण दर (%)	**1%**	1%
छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) लाभ के सम्बंध में परिभाषित लाभ योजना		
छूट दर (%)	**9.25**	-
प्रति व्यक्ति यात्रा दावे का औसत लागत (रु. में)	**3,000.00**	-
लाभ एवं हानि लेखे में नियोक्ता के कुल चिन्हित खर्चे	**265.28**	-
लाभ-हानि लेखे के विवरण में प्रभारित राशि	**237.13**	-
आई.ई.डी.सी. को हस्तांतरित राशि	**28.15**	-

26.11 सेगमेंट रिपोर्टिंग :

कम्पनी का व्यवसायिक कार्यकलाप प्रचालन के रूप में एक सेगमेंट में चिह्नित किया गया है और एक भौगोलिक क्षेत्र में भी, अत: लेखा मानक 17 के अनुसार लेखा में अलग से कोई प्रकटीकरण नहीं किया जा रहा है ।

26.12 संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण :

(लाख रुपये में)

विवरण	मुख्य प्रबंधन कार्मिक	कुल पारिश्रमिक	
		2013-14	**2012-13**
प्राप्त की जा रही सेवायें	1. श्री डी.आचार्य, सीएमडी	**29.98**	34.42
	2. श्री एस. के. श्रीवास्तव, डी (टी) (13.06.2012 से)	**23.68**	21.78
	3. श्री आर.पी.गुप्ता, डी(एफ) (30.09.2012 तक)	-	19.15
	4. श्री बी. एल. साबू, डी(एफ) (18.03.2013 से)	**20.54**	0.56

(लाख रुपये में)

26.13	प्रति शेयर लाभ	2013-14	2012-13
	कर पश्चात् लाभ (लाख रुपये में)	**1069.42**	9078.74
	इकाई शेयर का भारित औसत संख्या	**1,44,21,178**	1,43,96,178
	जोड़ा:ईकाइ शेयर की संभाव्य संख्या	**1,11,060**	1,11,060
	ईकाइ शेयर का तनुकृत संख्या	**1,44,32,238**	1,45,07,178
	ईकाइ शेयर का अंकित मूल्य (रुपया में)	**1,000**	1,000
	प्रति शेयर प्रारंभिक आय (रुपया में)	**7.42**	63.06
	प्रति शेयर फीकी आय (रुपया में)	**7.36**	62.58

26.14 आंकड़ों को लाख रुपये के सन्निकट में लिया गया है । गत वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं भी जरूरी समझा गया उसे चालू तुलनात्मक दृष्टि से पुन: समूह में व्यवस्थित/वर्गीकृत किया गया है ।

अनुसूची **'1'** से **'26'** के हस्ताक्षरी

यह हमारे संलग्नक सम दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित है ।

कृते **तोड़ी तुलस्यान एण्ड क.**
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.सं. 002180सी

(सुशील कुमार तुलस्यान)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 075899
स्थान : कोलकाता
दिनांक : 26.08.2014

कृते एवं बोर्ड के तरफ से

जी. के. चटर्जी
महाप्रबंधक (वित्त)

बी. सी. गुप्ता
कम्पनी सचिव

एस. के. श्रीवास्तव
निदेशक (तकनीकी)

डी. आचार्य
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक

31.03.2014 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण

(लाख रुपयों में)

		2013-14	2012-13
(क)	**परिचालन की क्रियाओं से कैश फ्लो**		
	कर पूर्व शुद्ध लाभ	**1,632.77**	14,416.98
	समायोजन के लिए		
	मूल्य ह्रास	**7,880.04**	7,972.06
	ऋण एवं पेशगी पर ब्याज	**(93.45)**	(92.85)
	बैंक जमा पर ब्याज	**(1,299.39)**	(1,913.24)
	स्थिर परिसम्पत्तियों पर हानि	**-**	-
	ब्याज पर व्यय	**4,730.88**	2,803.87
	कार्यकारी पूँजी परिवर्तन के पूर्व परिचालन लाभ	**12,850.85**	23,186.82
	समायोजन के लिए		
	क) देनदारों को (वृद्धि)/ह्रास	**75.37**	(6,205.12)
	ख) मालसूची में (वृद्धि)/ह्रास	**1,803.70**	(391.38)
	ग) ऋण एवं पेशगियों में (वृद्धि)/ह्रास	**(1,167.20)**	(1,215.07)
	घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियों पर (वृद्धि)/ह्रास	**356.16**	444.06
	ड.) दायित्व में (वृद्धि)/ह्रास	**3,335.95**	(2,811.77)
	परिचालन की क्रियाओं से नकद उपार्जन	**17,254.82**	13,007.54
	प्रत्यक्ष कर	**(5,097.06)**	(2,888.98)
	परिचालन की क्रियाओं से शुद्ध कैश फ्लो	**12,157.76**	10,118.56
(ख)	**निवेश की क्रियाओं से कैश फ्लो**		
	क) निश्चित परिसम्पत्तियों की खरीद	**(3,679.00)**	(10,268.41)
	ख) डब्ल्यू.आई.पी. की पूँजी में (वृद्धि)/ह्रास	**(28,548.31)**	(24,957.25)
	ग) पूँजी व्यय के लिए अग्रिम	**1,487.36**	1,728.11
	घ) बैंक जमा पर ब्याज	**1,299.39**	1,913.24
	ड) ऋण एवं पेशगियों पर ब्याज	**93.45**	92.85
	च) अन्य बैंक जमा में (वृद्धि)/ह्रास	**8,257.08**	(5.27)
	विनियोग की क्रियाओं से शुद्ध कैश फ्लो	**(21,090.03)**	(31,496.73)
(ग)	**वित्तीय क्रियाओं से कैश फ्लो**		
	इक्विटी शेयर पूँजी से लाया गया	**4,000.00**	-
	(1000 लाख रुपये के लंबित आवंटन को जोड़ कर)		
	अल्प कालीन उधार में (वृद्धि)/ह्रास	**11,682.13**	21,281.54
	लाभांश चुकाया	**(1,815.00)**	(1,625.00)
	ब्याज चुकाया	**(4,730.88)**	(2,803.87)
	वित्तीय क्रियाओं में शुद्ध नकदी का उपयोग	**9,136.25**	16,852.67
(घ)	**नकद तथा नकदी के सामान में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)**	**203.96**	(4,525.50)
	वर्ष के प्रारम्भ में नकदी के सामान	**171.70**	4,697.20
	वर्ष के अन्त में नकदी के सामान	**375.66**	171.70
(ड.)	**नकद एवं नकदी के सामान में शुद्ध वृद्धि/(कमी)**	**203.96**	(4,525.50)

विगत वर्ष के आँकड़े को जहाँ कहीं भी जरूरी समझा गया उसे चालू वर्ष में तुलनात्मक दृष्टि से पुन: समूह में व्यवस्थित/वर्गीकृत किया गया है।
यह हमारे संलग्नक सम दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित है ।

कृते **तोड़ी तुलस्यान एण्ड क.**
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.सं. 002180सी
(सुशील कुमार तुलस्यान)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 075899
स्थान : कोलकाता
दिनांक : 26.08.2014

कृते एवं बोर्ड के तरफ से

जी. के. चटर्जी
महाप्रबंधक (वित्त)

बी. सी. गुप्ता
कम्पनी सचिव

एस. के. श्रीवास्तव
निदेशक (तकनीकी)

डी. आचार्य
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक

पच्चीस वर्षीय स्थिति का सार-संग्रह

वर्ष	आय	सामग्रियाँ	वेतन/मजदुरी तथा अन्य सुविधाएँ	मूल्यह्रास (नगद क्षेत्र पर ह्रास को छोड़कर)	ब्याज	उत्पादन एवं अन्य व्यय	कर पूर्व लाभ/हानि
1989–90	3882.2	465.9	1026.4	157.7	0.4	1142.5	1092.4
1990–91	3080.6	398.0	938.5	197.9	–	1237.2	323.5
1991–92	3929.3	518.8	1167.1	214.4	–	1455.0	571.8
1992–93	4249.2	659.3	1369.8	217.9	2.1	1624.1	376.5
1993–94	4775.7	788.3	1415.5	291.7	0.7	1970.5	309.0
1994–95	5730.1	1082.3	1530.6	353.4	18.6	2396.1	349.1
1995–96	7149.8	1064.5	2569.6	1286.7	10.2	2187.7	31.1
1996–97	8601.0	1037.0	3141.5	1404.8	0.1	3693.6	(-) 676.0
1997–98	11140.5	1107.0	3429.6	1067.3	–	5019.9	516.7
1998–99	13417.5	1252.7	4255.9	1236.4	–	6495.0	177.5
1999–00	14533.0	1461.9	4522.2	1685.2	–	5361.4	1307.9
2000–01	14797.0	1612.7	4768.8	1842.9	–	6167.4	405.2
2001–02	16597.1	1746.8	5524.9	2054.1	–	6399.3	872.0
2002–03	19357.1	1740.5	5274.5	2069.9	–	7500.0	2772.4
2003–04	21396.9	2248.4	5596.8	2236.3	–	9389.7	1925.7
2004–05	25497.0	2590.01	5945.24	2443.43	–	9896.72	4621.6
2005–06	28156	3121	7309	2468	–	10332	4926
2006–07	29781	4138	8817	2592	–	9856	4378
2007–08	30436	4786	9929	2518	–	11061	2142
2008–09	41462	6143	12728	2755	–	13832	6004
2009–10	54306	7494	14539	6661	–	17827	7785
2010–11	76025	10072	19815	8245	–	21836	16057
2011–12	70728	10469	18572	7184	–	25526	8626
2012.13	85512	12882	21988	7795	–	28447	14417
2013.14	**81430**	**13106**	**24806**	**7793**	–	**33979**	**1633**

(लाख रुपयों में)

कर पश्चात लाभ	पूँजी	ऋण	आरक्षित तथा अधिशेष	सकल निरूद्ध पूँजी	कुल मूल्य ह्रास	शुद्ध निरूद्ध पूँजी	31 मार्च को कर्मचारियों की संख्या
657.4	5589.3	–	2314.8	3701.3	2035.2	1666.1	3477
143.5	6989.3	–	2458.3	4029.4	2289.8	1739.6	3629
245.8	12417.2	–	2654.4	4933.5	2590.3	2343.2	3748
146.2	17017.3	–	2802.0	5262.4	2824.3	2438.1	3898
104.4	22517.3	–	2906.5	9085.1	3574.4	5510.7	3904
801.9	30517.3	–	3708.4	11277.1	4396.1	6888.0	4024
78.6	5422.3	–	3787.1	18558.6	5813.8	12744.8	4171
(-) 854.0	36922.3	–	1326.6	19008.1	7203.8	11804.2	4249
251.4	37075.3	–	1523.0	25203.8	8644.3	16559.5	4312
367.1	41982.3	–	1808.0	34057.7	10039.8	24018.0	4385
1151.1	41982.3	–	2666.4	36438.7	11894.8	24543.9	4408
303.7	41982.3	–	2902.3	38041.5	13915.3	24126.3	4420
588.2	38339.3	64.4	4971.5	38510.6	16076.3	22434.3	4218
480.84	41839.3	–	4398.8	43443.2	18062.2	25381.0	4147
978.7	49839.3	–	4981.8	48591.2	20109.6	28481.6	4064
2925.1	63389.3	–	7222.8	52746.6	22813.5	29933.1	4034
3161	69094	–	9472	57074	25509	31566	4103
2751	71265	–	11403	61942	28192	33750	4276
1463	84165	–	12433	67254	31012	36242	4439
1801	107765	–	13684	117101	33914	83187	4643
4626	134793	–	16957	123150	40842	82308	4539
10153	143962	–	24146	126383	49131	77251	4696
6484	143962	–	28742	135090	56446	78644	4624
9078	143962	–	35697	145358	64418	80940	4613
1069	**146962**	–	**36516**	**148617**	**71878**	**76739**	**4642**

निगमित सामाजिक दायित्व
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Development of Infrastructure in Govt. schools surrounding all the units

RO Plant at Tummalapalle, AP to facilitate clean drinking water

Rural Health Camps in the surrounding villages for assistance in the field of Healthcare

Proper Sanitation development in the surrounding villages

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Promoting rural talent in the field of sports through Coaching

Preservation & promotion of local culture

Computer coaching to keep local youths abreast with the latest technology

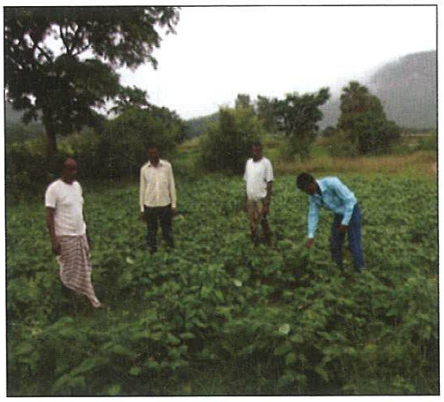

Imparting Scientific Farming training to farmers in collaboration with Krishi Vigyaan Kendra

Solar Light in Tummalapalle, Andhra Pradesh